– पंचम अध्याय –

5– आधुनिक कालीन भारत में पुलिस तथा उत्तराखण्ड–

5.1– आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप।

5.2– आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका।

5.3– आधुनिक भारत में पुलिस के कार्यक्षेत्र।

5.4– आधुनिक भारत में पुलिस की आवश्यकता।

5.5– आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड का स्वरूप उसमें पुलिस की भूमिका–

5.5.1– आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति।

5.5.2– आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड की राजनीतिक स्थिति तथा पुलिस की भूमिका।

5.5.3– आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड की सामाजिक स्थिति तथा पुलिस का प्रभाव।

5.5.4– आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड की प्रशासनिक स्थिति तथा पुलिस की आवश्यकता।

Estelar

पंचम् अध्याय

5. आधुनिक कालीन भारत में पुलिस तथा उत्तराखण्ड :–

भारत का सम्पूर्ण इतिहास स्वतन्त्रता के पूर्व तीन भागों में बाँटा गया जिसका एक भाग प्राचीन भारत, द्वितीय मध्य भारत व तृतीय आधुनिक भारत के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास तथा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के उपरान्त अवगत होता है कि आधुनिक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई तथा उससे पूर्व भारत में छोटे–छोटे सामन्ती राजवंशों का राज रहा। भारत की आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था पर ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आधुनिक काल के प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस के स्वरूप को जानने के लिए पुलिस की भूमिका, स्वरूप, कार्यक्षेत्र तथा आवश्यकता को समझना अति आवश्यक होता है। आधुनिक काल की पुलिस या ब्रिटिश काल की पुलिस का स्वरूप किस आधार का था उसके लिए ब्रिटिश काल की सम्पूर्ण पुलिस की भूमिका तथा भारत में उसकी आवश्यकता तथा किन–किन कार्य क्षेत्रों में उनका प्रयोग किया जा सकता है इन सब तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। सम्बन्धित शोध विषय में इतिहास के तथ्यों को जानने के लिए उसके सभी कालों जैसे प्राचीन, मध्यकाल तथा आधुनिक काल का भी अध्ययन करना आवश्यक है। इतिहास के लिए उसके तीनों काल प्राचीन, मध्यकाल तथा वर्तमान सभी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सभी कालों के सभी तथ्यों का अध्ययन आवश्यक होता है। इस विषय में घाटे महोदय ने कहा है कि *"इतिहास हमारे सम्पूर्ण अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन एवम् लेखा है।'*

इस प्रकार यह विषय भी सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए क्रमबद्ध आधार पर तथ्यों को प्रदान करता है। जिससे ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होकर हमें प्राप्त होता है इस प्रकार वह ज्ञान ग्रहण करने में आसान तथा उससे विषयवस्तु की समझ भी बढ़ती है। आधुनिक काल को जाने बिना हम सम्पूर्ण को नही जान सकते हैं। अतः उक्त विषय में तथ्यों को समझने के लिए उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। भारतीय सन्दर्भ में पुलिस की भूमिका को समझने के लिए के लिए आधुनिक काल में पुलिस का समझना भी नितान्त अनिवार्य व आवश्यक ळें

Estelar

5.1 आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप :–

आधुनिक भारत में पुलिस के स्वरूप का अध्ययन करने से अवगत होता है कि आधुनिक भारत के अध्ययन से पूर्व मराठा राज्य की स्थापना तथा उसकी प्रमुख प्राशसनिक व्यवस्था से ज्ञात होता है कि मराठा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था उत्तम आधार की रही है। मराठा राज्य में शिवाजी का निरंकुश शासन रहा है। मराठा प्रशासन के प्रमुख अष्ट प्रधान थे। मराठा केन्द्रिय सचिवालय को हजूर दफ्तर कहते थे। यहाँ समस्त रिकार्डों को रखा जाता था। मराठा प्रदेश में भू व्यवस्था को उत्तम आधार पर रखने पर बल देते थे इनके समस्त अभिलेख व्यवस्थित आधार पर रखे जाते थे। इस समय के राजाओं के लिए कहा गया है कि ***"बालाजी बाजीराव, माधवराव और नाना फड़नबीस का भू–राजस्व प्रबन्ध सावधानी से होता था।"***[2]

मराठा न्याय व्यवस्था सरल व समय के अनुकूल थी। इसमें न्याय दोनों पक्षों की उपस्थिति में होता था। मराठा प्रदेश में बड़े अपराध सामान्यतहः रूक गये थे। शिवाजी की मृत्यु के उपरान्त सम्पूर्ण भारत में अंग्रेजी शासन का राज स्थापित हो गया। 1772 ई0 में वारने हेस्टिग्स बंगाल का गर्वनर बनके आया। उस समय बंगाल में भुखमरी, अराजकता, डकैती, चोरी आदि कुशासन व्याप्त था। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। इस सन्दर्भ में कहा गया था कि ***"वारेन हेस्टिंग्स ने दीवानी का प्रशासन और कार्नवालिस ने निजामत का प्रबन्ध अंग्रेज अधिकारियों के अधिन कर दिया था।"***[3]

वारेन हेस्टिग्स ने शान्ति व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा लूटपाट इत्यादि को समाप्त करने के लिए पुलिस का काम जमींदारों से छीन कर सीधे केन्द्रिय शासन में ले लिया। आज की पुलिस का स्वरूप वारेन हेस्टिंग्स के 1772 ई0 से 1785 ई0 तक के शासन काल में प्रारम्भिक रूप में हुआ था। उसने ही दीवानी व फौजदारी अदालतों को अलग किया था। उसने डकैतों के दमन के लिए "गोइन्दे" भरती किये जिससे इनका पूर्ण दमन किया जा सके। डकैतों को फाँसी पर चढ़ा दिया जाता था। उसकी सम्पत्ति छीन ली जाती थी तथा उसके परिवार वालों को सरकार की गुलामी करनी होती थी। इसने हर प्रान्त के हर जिले में अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त कर दिया था जो मालगुजारी वसूली के साथ दीवानी तथा फौजदारी वादों को देखता था और पुलिस का कार्य करता था। वैतनिक पुलिस हर स्थान पर नियुक्त हो गयी थी।

Estelar

क्लाइव ने मुगल कालीन समय के फौजदार का पद समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने इस पद को पुनः प्रारम्भ कराया निचले शहरों में उसने कोतवाल की भी नियुक्ति की उसके नीचे हर हल्के में एक दरोगा की भी नियुक्ति की गयी दरोगा के नीचे बरकन्दाज नियुक्त होते थे। यह व्यवस्था भी सफल नहीं हो सकी। इतिहासकार मानते हैं भारत में ब्रिटिश शासन काल की स्थापना गवर्नर जेनरल लॉड कॉनवालिस द्वारा की गयी। उसने प्रति 400 वर्ग मीटर पर एक थाना खालने की बात कही जिसका संचालन एक वैतनिक थानेदार से कराया जाये जिसे जिले स्तर पर जिला जज के नियंत्रण में रखा जाये। जमींनदारों व ग्रामप्रधानों के अधिकार छिननें के कारण ब्रिटिश काल में पुलिस बेलगाम हो गयी थी।***"यदि देश की पुलिस का प्रबन्धन ऐसे जनसहयोग तथा विश्वास के आधार पर नहीं गठित होता तो वह सामाजिक व्यवस्था, शान्ति तथा सुरक्षा में सफल नहीं हो सकती। कुछ दुर्बल दरोगा जिनका वेतन बहुत कम है, जिनमें सम्मानित लोग शामिल (भर्ती) नहीं होते तथा जो जनता से दूर और उनके विश्वास के पात्र नहीं हैं तथा जो मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के बाहर हैं, वे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते।"***[4]

इस रिपोर्ट में साधारण पुलिसजन को ना तो कॉस्टेबल कहा जाता था ना पुलिसमैन। इनको पीयोन (चपरासी) कहा जाता था। इसके बाद भी बंगाल में अपराध नहीं रूक सके। जिसके उपरान्त सर टॉमस मुनरो ने मद्रास रेगुलेशन एक्ट 1816 के माध्यम से कहा कि "हम लोग पुराने गाँव चौकीदार, पश्तैनी चौकीदार की प्रणाली पर फिर वापस आ रहे हैं। जो चौकीदार ग्राम के मुखिया और तहसीलदार तथा उसके कलेक्ट्रर या मजिस्ट्रेट के मातहत होगा।" फिर रेगुलेशन एक्ट 1827 में बना जिसमें कलेक्टर–मजिस्ट्रेट ही पुलिस विभाग का प्रधान बनाया गया। इसके अधीन मामलतदार (तहसीलदार) थे जो कुछ चपरासी नियुक्त कर सकते थे जो कुछ पुलिस का कार्य करते थे कुछ मालगुजारी वसूल करते थे। तहसीलदार एक ग्राम में लगे चपरासी को दूसरे कार्य में भी लगा सकता था। इन सबके ऊपर पुलिस के कार्य को देखने वाली सदर फौजदारी अदालत होती थी कलक्टर–मजिस्ट्रेट की तुलना सदर फौजदारी ही वास्तविक नियन्त्रणकर्ता था। 1813 ई0 में इसके कुछ अधिकार छीन लिए गये। उसे छोटे अपराधों से पृथक कर दिया गया।

जिलाधीश कलेक्टर के पास समय के अभाव के कारण पृथक पुलिस विभाग बनाकर 1808 ई0 में पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट को नियुक्त किया गया। इनके अधिकार आज के

Estelar

इस्पेंक्टर जेनरल पुलिस (महानिरीक्षक) को प्राप्त है। इस पद के आने के बाद अपराध रोकने में सफलता प्राप्त हुई। 1808 ई0 में कई जिलों में यूरोपियन सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस को नियुक्त किया गया क्योंकि ब्रिटिश शासकों को भारतीयों पर विश्वास नहीं था। 1821 ई0 में उत्तर प्रदेश में मण्डलीय कमिश्नर नियुक्त किये गये। इस समय कम्पनी ने खर्चों में कटौती हेतु सुपरिटेन्डेन्ट का पद समाप्त कर दिया जिससे पुनः अराजकता का माहौल खड़ा हो गया। इसके उपरान्त जिले में एक सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस पुनः नियुक्त हुआ जिसके नीचे एक सहायक सुपरिटेंन्डेन्ट तथा चार राजपत्रित (गजिटेड) अफसर होते थे। इस प्रथा को देशभर में लागू करने में 25 वर्ष का समय लग गया। मद्रास प्रान्त में पूर्ण कालीन पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट की रचना 1859 ई0 में हुई। जिलाधीश की मातहत वहाँ दो प्रकार की पुलिस थी। एक सशस्त्र पूर्णकालिक, दूसरी असंगठित जिसे वर्कन्दाज कहते थे। इसके पास सशस्त्र पुलिस जैसे हथियार नहीं थे। इस पुलिस संगठन में बहुत दोषपूर्ण आयाम थे। जिन लोगों की भरती होती थी अधिकत्तर माल विभाग के पुराने चपरासी ही होते थे ये समाज में निकम्मे वर्ग के थे। 1857 ई0 की क्रान्ति से पहले जे0पी0 ग्रान्ट ने लिखा था कि ***"बंगाल की सबसे बड़ी खराबी वहाँ की पुलिस है।"***[6]

इस प्रकार पुलिस व्यवस्था को सुधारने हेतु जो कार्य किये गये थे वे सब अधूरे थे तथा अपर्याप्त थे। जब तक भारतीय पुलिस अधिकारी का चयन कर उनको पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं करने दिया जायेगा तब तक नियन्त्रण असम्भव है। इस पुलिस को तो घोर अत्याचारी व अमानवीय कहा जाना गलत नहीं होगा।

सर फ्रेडरिक हैलिडे ने जो परिचय ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों को लिखा उसमें सुझाव था पुलिस को समुचित वेतन मिले तथा जिलो में अनुभवी जिलाधीश नियुक्त किया जाय तथा डिप्टी मजिस्ट्रेटों की संख्या को बढ़ाया जाय। जिससे नये ढंग से पुलिस का संगठन हुआ। उस समय की पुलिस को लुटेरे तथा लफंगे तक का दर्जा दिया गया। 1857 ई0 के बाद 1860 ई0 में पुलिस कमीशन नियुक्त किया गया जिसके विचारणीय आदेश थे कि– ***"ऐसी पुलिस की रचना जिसका कार्य समाज की रक्षा के साथ अपराध का दमन करना तथा खुफिया का काम करना भी हो तथा भारत में पुलिस का संगठन तथा दमनकारी कार्य सेना के कार्यो से बहुत स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं हो सकता।"***[6]

भारतीय लोगों को यह कहकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी आयी थी कि हम उनके लिए तथा उनके लोगों के लिए बेहतर कर रहे हैं परन्तु ऐसा नहीं हुआ था इस लिए विश्वास

Estelar

का सारा ताना–बाना समाप्त होना ही था केवल भारतीयों को यह एक ऊपरी दिखावा था हमारे प्रति उनके मन में कोई सद्भाव नहीं था जिसे नया दृष्टिकोण कहा जा सके। इस सन्दर्भ में मिकायेल एडवर्ड्स ने कहा है कि ***"यह नयी भावना तुषार की तरह ठण्डी, नौकरशाही वाली तथा अपने को उच्च जाति समझने वालों का दम्भ अन्ध व अंहकार मात्र थी।"***[7]

इस प्रकार इसके उपरान्त हर प्रान्त में एक इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस नियुक्त करने उसके नीचे डिप्टी या सहायक इंस्पेक्टर जनरल होंगे। हर जिले में सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस तथा डिप्टी सुपरिटेन्डन्ट पुलिस होंगे जिनका वास्तविक नियंत्रण जिला मजिस्ट्रेट का होगा। इस प्रकार उपद्रव के समय अतिरिक्त पुलिस हो जो दण्डात्मक आधार की होगी। 1861 के अनुसार हर थाने में हेड कांस्टेबल नियुक्त हुआ कई थाने पर एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। पुलिस पर जिलाधीश के अलावा मण्डलीय कमिश्नर का भी हस्तक्षेप होता था। 1864 में पुलिस विभाग का गठन कर उनका वेतन निम्न रखा गया। इंस्पेक्टर जेनरल 3000 रूपया प्रतिमाह डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल 1000 से 1200 रूपया प्रतिमाह (दो श्रेणी) 25 सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस 500, 600, 700 रूपया प्रतिमाह (तीन श्रेणी) 521 इंस्पेक्टर 70, 100 तथा 150 रूपया प्रतिमाह (तीन श्रेणी) 741 सब इंस्पेक्टर 16, 20 तथा 25 प्रतिमाह (तीन श्रेणी) तथा 741 ओवरसियर (दरोगा) 10, 12, 14 तथा 24 रूपया प्रतिमाह (चार श्रेणी) 700 कास्टेबुल 6, 7 और 8 रूपया प्रतिमाह (तीन श्रेणी)।

2 मार्च 1882 को ब्रिटिश सरकार द्वारा नयी दण्ड विधान संहिता बनायी जिसमें 48 अध्याय 3 खण्ड तथा 558 धारायें थी। इसी प्रकार 1907 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बलवा, दंगा तथा उपद्रव बहुत बढ़ गया। हर स्थान पर अनेकों दंगे तथा अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया। 1909 में लार्ड मिन्टो द्वारा "मॉरले–मिन्टो शासन सुधार" योजना पारित की गयी। न्याय व्यवस्था और सशक्त बनाने हेतु 1910 में मोटर वेहिकिल्स एक्ट बनाया गया तथा क्रान्तिकारियों के दमन के लिए 1913 में भारतीय दण्ड विधान में दफा 120 अ तथा 120 व जोड़कर उसे और कठोर बनाया गया। रौलट एक्ट में भी भारतीय पुलिस पर भरोसा नहीं था उनके ऊपर यूरोपिन अधिकारी का होना आवश्यक माना गया। बाद के समय मे पुलिस में घोर असन्तोष तथा भ्रष्टाचार फैल गया तथा पुलिस एक सडा संगठन हो गया। इस समय राजनैतिक उपद्रव भी बढ़ गये थे इनको दबाने हेतु पुलिस दल को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी जिसके लिए कहा गया था कि

Estelar

"राजनैतिक उपद्रवों को दबाने में पुलिस को अपनी जान हथेली पर रखकर काम करना होता है।"[8]

इस समय पुलिस के हर कर्मचारी में असन्तोष था ऐसा लगता था कि पुलिस का महकमा किसी की सन्तान नहीं है। इस विभाग का महत्व शासन के आधार पर महत्वपूर्ण था परन्तु सरकार उसके महत्व को समझती नहीं थी पद के अनुरूप कोई मान्यता नहीं थी सरकार उसे द्वितीय श्रेणी का समझती है। साइमन कमीशन के समय भारतीय सैनिकों की पुलिस ब्रिटिश लोगों के लिए अनुशासित तथा नियमबद्ध रहकर कार्य करती थी। 1933 ई0 में पार्लियामेन्टरी प्रणाली को लागू करने को कहा जिसमें पुलिस विभाग को मंत्री के मातहत रखने का सुझाव दिया गया यह खतरे से खाली नहीं था पर पुलिस पर लगाया लांछन समाप्त होगा जिसके लिए लिखा था *"पुलिस शक्ति में यह तात्विक गुण होना चाहिए कि वह अनुशासन में रहे, निष्पक्ष रूप से काम करे उसे अपने अफसरों पर विश्वास हो– बड़ा घातक होगा यदि किसी प्रान्त में पुलिस दल का बलिदान किसी मंत्री के राजनैतिक समर्थकों के हित में किया जाए– इसलिए पुलिस का मुकदमा यदि किसी मंत्री के हाथ में रखता है तो ऐसे खतरों से उसे बचाने हेतु कुछ उपाय करने होंगे।"*[9]

इस प्रकार सन् 1942 ई0 में भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हुआ हर प्रकार से उपद्रव हुए थे सेना तथा पुलिस में भी प्रारम्भ हुए। यह सत्याग्रह आन्दोलन चलता रहा तथा कई स्थानों पर उग्र हो गया। ग्राम के ग्राम जला दिये गये अंग्रेजी हुकुमत द्वारा भारतीयों पर कहर बरपा गया। इस सन्दर्भ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश लोकसभा में कहा कि *"मैं यह स्पष्ट कर दूँ किसी क्षेत्र या वर्ग के मन में सन्देह नहीं होना चाहिए कि हम भारत में डटे रहेंगे। मैं बादशाह का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं हुआ हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करा दूँ।"* [10]

इसके उपरान्त सत्याग्रह आन्दोलन हिंसात्मक रूप में चलता रहा। जगह–जगह उपद्रव होते रहे अंग्रेजी शासन की पकड़ निरन्तर कमजोर होती जा रही थी अनन्तः 15 अगस्त 1947 ई0 में देश को आजादी प्राप्त हुई। 15 अगस्त को लाल किले पर भारतीय तिरंगा लहराया। स्वतन्त्रता के उपरान्त भारतीय पुलिस सेवा में बहुत सारे परिवर्तन हुए लेकिन इस परिवर्तन के उपरान्त भी पुलिस संगठन ब्रिटिश कालीन आधार पर रही जो 1861 ई0 के समय था आज भी पुलिस संगठन का स्वरूप ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है।

Estelar

5.2 आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका :–

आधुनिक काल की शुरूआत मुगलकाल के पतन के साथ ही प्रारम्भ हो गयी थी इस काल के प्रारम्भ में दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठा सम्राट शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था उत्तम आधार की थी उनकी गुप्तचर व्यवस्था भी प्रभावशाली मानी गयी थी उस समय भारत में ईष्ट इण्डिया कम्पनी ने अपनी जडें जमा ली थी।

1972 ई0 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में पुलिस व्यवस्था में सुधार कर उसे केन्द्रिय शासन से जोड़ दिया था तथा न्याय व्यवस्था में सुधार कर दो न्यायालयों की स्थापना कर दी थी प्रथम दीवानी न्यायालय तथा द्वितीय निजामत (फौजदारी) न्यायालय। दीवानी अदालत में सम्पत्ति, शादी–विवाह, जाति–प्रथा, ऋण, अनुबन्ध, लगान तथा उत्तराधिकार सम्बन्धित मामलों की सुनवायी होती थी। फौजदारी अदालत में चोरी, हत्या, जालसाजी, धोखाधडी तथा बलपूर्वक सम्पत्ति हड़पने के मामलों की सुनवायी होती थी। कलकत्ता में सदर निजामत अदालत की स्थापना की गयी थी। कलकत्ता कौंसिल का अध्यक्ष (अर्थात् गर्वनर) सदर दीवानी अदालत का भी अध्यक्ष होता था। सदर निजामत अदालत का न्यायाधीश दरोगा–ए–अदालत–नाजिम (बंगाल नबाब) द्वारा नियुक्त किया जाता था। 1765 ई0 में हेस्टिंग्स द्वारा ग्राम्य पुलिस जो फौजदार थी उसको समाप्त कर केन्द्रिय पुलिस बनायी जिसका प्रमुख गर्वनर होता था जिसकी भूमिका मालगुजारी एकत्र करने के साथ दीवानी तथा फौजदारी अदालतों का काम देखना था। इसका स्वरूप तो ठीक था परन्तु भारतीय सामन्तों तथा पुराने जमीदारों का इस व्यवस्था को समर्थन नहीं मिल पाया क्योंकि इस व्यवस्था से उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया था।

1813 की कमेटी के सुझावों के उपरान्त भारत में पुरानी प्रशासन व्यवस्था को ठीक माना गया। 1827 ई0 में कलेक्टर–मजिस्ट्रेट ही पुलिस का प्रधान हो गया था। जिनको कुछ चपरासी नियुक्त करने के अधिकार थे जो कुछ मालगुजारी वसूलते थे तथा कुछ पुलिस का कार्य करते थे। इससे पूर्व 1808 ई0 बंगाल में कुछ स्थानों पर सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस की नियुक्ति भी की गयी थी वह पद यूरोपियन को ही दिया गया इस पद के लिए भारतीयों पर विश्वास नहीं किया गया। इस प्रकार बंगाल में एक ओर कलेक्टर (जिलाधीश) तथा दूसरी ओर पुलिस अधिकारी (सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस) दोहरा शासन ने दोनों में टकराव की स्थिति पैदा कर दी थी। परिणामस्वरूप यह प्रयोग अधिक दिन नहीं चल सका। 1829 ई0 में मण्डलीय कमिश्नर नियुक्त कर दिये गये। सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस का पद समाप्त कर

Estelar

दिया गया। इसका परिणाम और बुरा हुआ आन्तरिक शान्ति समाप्त होकर अपराध, लूटमार व डकैती का पुनः बोलबाला हो गया। कलेक्टर के अधीन पुलिस घूसखोर व अत्याचारी हो गयी।

मद्रास प्रान्त में पूर्व में घोषित 25 वर्ष पूर्व की प्रणाली के आधार पर पूर्ण कालीन पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्त किये गये इस प्रकार देश के कुछ हिस्से में सशस्त्र पुलिस तथा असंगठित पुलिस दोनों का गठन किया गया। इस प्रकार कुछ समय बाद पुलिस संगठन दोषपूर्ण माना गया। मण्डल कमिश्नर तथा जिला कलेक्टर अधिक से अधिक लगान वसूल कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का खजाना भरते थे तथा उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता था। इस विषय में सर फ्रेडरिक हेलिडे ने अपने परिपत्र में लिखा था कि ***"पुलिस की विशाल भ्रष्टता को दूर करने के जो प्रयत्न किये गये हैं, वे अधूरे हैं; अपर्याप्त हैं। लम्बी अवधि तक शासन अपनी असमर्थता में निराश का हाथ पसारे बैठा है। जब तक देशी पुलिस का बड़ी निकटता तथा कड़ाई से विश्वसनीय अफसरान निगरानी तथा नियन्त्रण नहीं करेंगे वह अभिशाप बनी रहेगी। यह भी सोचने की बात है कि यदि देश भर में वर्तमान पुलिस दल को पकड़ कर बन्द कर दिया जाय तो क्या देश में चोरी और डकैती कम नहीं हो जायेगी।"***[11]

इस प्रकार उनका मानना था पुलिस कर्मियों को वेतन मिले तथा जिले में कुशल जिलाधीशों की नियुक्ति की जाय। इसी क्रम में 1829 ई0 में पुलिस को नये ढंग से संगठित किया गया। 1857 के बाद अंग्रेजों का देशी सैनिकों पर से विश्वास उठ गया था उनका मानना था देशी पलटनों की यूरोपियन शासकों अधिकारियों के अन्तर्गत रखना होगा। अंग्रेज लोग भारतीय जनमानुस को असभ्य तथा जंगली समझते थे। वह भारतीयों को अपने से कई नीची श्रेणी का मानते थे। लार्ड मैकाले ने 1834 को भारतीय लॉ (कानून) कमीशन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में कहा था कि ***"भारतीयों पर पिता तुल्य निरंकुशता से राज्य करना चाहिए।"***[12]

सेना या पुलिस में भरती जवानों को अंग्रेजों ने पैसे का अद्भुद लोभी समझा था। सेना के विद्रोह में यह विश्वास हटा दिया तब पुलिस को पुनः संगठित करने पर ध्यान गया। महारानी विक्टोरिया द्वारा 1858 में घोषणा की कि ***"हम भारतीय राज्यों के देशी लोगों के प्रति उस कर्तव्य पालन के लिए कृत संकल्प है जो हमारे राज्य की सभी प्रजा के लिए***

Estelar

लागू है। उनके उत्थान ही हमारी शक्ति है। उनकी संन्तुष्टि में ही हमारी सुरक्षा है और उनकी कृतज्ञता प्राप्त करना हमारे लिए पारितोषिक के समान है।[44]

यह अंग्रेजी हुकूमत का केवल दिखावा मात्र था इस सन्दर्भ में मिकायेल एडवर्ड्स ने कहा है कि यह भावना ठन्डी व नौकरशाही वाली है जो समझने वालों को दम्य अन्धकार वा अहंकार मात्र है। इस प्रकार देश में निशस्त्र कानून लागू किया किसी को बिना लाइसेन्स के एक तलवार रखने का आदेश भी नहीं था जिसमें शस्त्रों को लाना उनका आना तथा मांगना, बनाना, रखना इत्यादि सब नियंत्रण में था फिर 1860 ई0 में पुलिस कमिशन की नियुक्ति की गयी जिसमें कहा गया था कि *"ऐसी पुलिस की रचना जिसका कार्य समाज की रक्षा के साथ अपराध का दमन करना तथा खुफिया का काम करना भी हो तथा भारत में पुलिस का संगठन तथा दमनकारी कार्य सेना के कार्यों से बहुत स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं हो सकता है।*[45]

कमिशन के आधार पर 1861 का पुलिस एक्ट लागू हो गया तथा अन्ततोगत्वा गवर्नर जेनरल ही उसका मुख्य नियन्त्र हुआ हर प्रान्त में एक इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस भी नियुक्त होगा उसके नीचे एक डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल भी होगा हर जिले में एक सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस तथा डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस भी होगा जिसमें वास्तविक नियन्त्रण जिला मजिस्ट्रेट का होगा। जिलाधीश का नियन्त्रण आज भी चल रहा है। उपद्रव के समय पुलिस को अधिकार दिये वह दण्डात्मक हो जाय। इस एक्ट के अनुसार हर थाने में हेड कांस्टेबुल नियुक्त हुआ और कई थानों में एक इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ। हर पुलिस हेड क्वाटर पर 25 पुलिस (सशस्त्र) थी। बंगाल के कुछ जिलों में "रिजर्व" पुलिस बल था जिसकी संख्या 100 थी इस समय भारतीय पुलिस जन कल्याण की भावना नहीं शासन कल्याण की भावना निहित थी। ब्रिटिश सरकार देशी आदमी को पुलिस का प्रधान नहीं बना सकती थी या बनाना नहीं चाहती थी इस सन्दर्भ में एक अंग्रेज लेखक ने कहा था कि *"ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को ब्रिटिश समुदाय अपनी स्थिति के लिए खतरा समझता था।*[45]

इस प्रकार प्रथमतहः 1864 में आई0सी0एस0 की परीक्षा सत्येन्द्र नाथ ठाकुर द्वारा पास की गयी जिनको सहायक पुलिस कमिश्नर बनाया गया। यह भी कहा गया कि हमें यह भी कभी हीं भूलना चाहिए कि भारत की जनता के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उपनिवेशों की सुरक्षा करें हमारा राज्य स्थायी है और महत्वपूर्ण पदों पर ब्रिटिश लोगों को

Estelar

रहना अति आवश्यक है। इस क्रम में 1867 की रेलवे पुलिस बंगाल में नियुक्त दी गयी। भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार अत्यधिक अविश्वासिय थी इस सन्दर्भ में वाइसराव की परिषद् के सदस्य जॉन स्टाची के इस कथन से स्पष्ट होता है कि ***"यदि उच्च पद के प्रशासनिक अधिकार इस धारणा पर कि वे सदैव हमारे प्रति वफादार रहेंगे तथा सरकार के समर्थक होंगे, देशी लोगों को दिये जायेंगे तो इसे हमारे साम्राज्य का अन्त का प्रारम्भ समझिये – हम देशी लोगों को शासन में यथा सम्भव अधिकतम स्थान दे देंगे पर यह ध्यान में रखते हुए कि इस बारे में हमें कोई पाखण्ड नहीं करना है कि बड़े प्रशासकीय पद हम अपने हाथों में रखेंगे यानि वे राजनैतिक तथा सैनिक पद जिनके द्वारा इस मुल्क पर हमारा कब्जा कायम रहेगा।"***[16]

पुलिस में सेना से यूरोपियन अफसरों को भेजा गया जब उनके ऊपर जिलाधीश का नियन्त्रण आ गया तो वे भी असन्तुष्ट हो गये। पुलिस का जनता से कोई सम्पर्क नहीं था। भारतीय दण्ड संहिता में अनेक संशोधन भी हुए। 2 मार्च 1882 को नयी भारतीय दण्ड विधान संहिता बनी जिसमें 46 अध्याय 3 खण्ड तथा 558 धाराएँ थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा की हमारी आय भी अधिक हो तथा हमारा धन भी कम लगे व उत्तम प्रशासन प्राप्त हो जाय इसके लिए एक ब्रिटिश लेखक ने लिखा कि ***"इस युग में ब्रिटिश शासन की यह सही आलोचना होगी कि उसने अव्यावहारिक मात्रा में कम खर्चों से शासन चलाया था।"***[17]

ब्रिटिश शासन ने मितव्ययता के आधार पर सैनिक व पुलिस व्यवस्था भारत में की जिसमें छोटे पदों पर जहाँ भारतीय हों अत्यधिक कम वेतन रखा हुआ था। लार्ड कर्जन ब्रिटिश शासन को दृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस संगठन मजबूत उपयोगी तथा कार्यकुशल बनाना चाहता था। कर्जन केन्द्र में भी एक विशेष पुलिस शाखा खोलना चाहते थे। 1903 ई0 में खुफिया पुलिस का गठन हुआ जिसके बल पर आज भी सी0आई0डी0 काम करती है। प्रान्तीय सी0आई0डी0 के लिए अलग डी0आई0जी0 नियुक्त किया गया। केन्द्रिय खुफिया पुलिस के डायरेक्टर की नियुक्ति 1904 ई0 में की गयी। पुलिस बल में वृद्धि की गयी तथा सी0आई0डी0 के कार्य बढ़ा दिये गये क्योंकि क्रान्तिकारी आंतकवादी घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार के लिए प्रभावशाली चुनौती खड़ी कर दी थी। इस प्रकार अपराधों पर नियन्त्रण करने में पुलिस प्रशासन सफल हुआ। पुलिस तन्त्र के बढ़े हुए मनोबल के साथ आपराधिक मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया। इस समय राजनीतिक

Estelar

गतिविधियों से शून्य होने के कारण ब्रिटिश सरकार पुलिस तन्त्र को संगठित करने का अवसर प्राप्त हो गया। 1905 ई0 से 1910 ई0 तक पुलिस तन्त्र में पुलिस बल में वृद्धि हुई इस समय ए0एस0पी0 की संख्या 8 डी0एस0पी0 28 इंस्पेक्टर 15 एस0आई0 107 सार्जेट्स 8 हेड कांस्टेबल 602 तथा सिपाहियों की संख्या 7475 थी जिसमें पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई। रेलवे का अलग डी0आई0जी0 पद सृजित कर दिया गया।

1910 ई0 में पुलिस का पुनर्गठन की दिशा में ग्रामीण पुलिस को मजबूत करने पर बल दिया। उनका मानना था ग्राम स्तर पर पैठ बनाने के लिए व अपराध नियन्त्रण के लिए गाँव के मुखिया का सहयोग प्राप्त किया जाय। परन्तु ब्रिटिश सरकार अपने कर्तव्यों के विमुख पुलिस जनों के लिए यह विपरीत दिशा भी हो सकती है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कानूनी प्रशासन का फंदा कसने हेतु समय–समय पर नियमों पुलिस संहिता में फेर बदल किये गये। रौलेट एक्ट तथा जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड ने देश में स्वाधीनता संग्राम को गति प्रदान कर दी। असहयोग आन्दोलन के लिए कांग्रेस के विशेष बैठक में यह संकल्प लिया गया कि ***"हर वैद्य तथा शान्तिमय उपाय से स्वराज्य प्राप्त करना।"*** [18]

इस प्रकार लोगों द्वारा नौकरी छोड़कर, स्कूल छोड़कर, वकालत छोड़कर आदि सभी व्यस्त लोग भी आन्दोलन में कूद पड़े। धीरे–धीरे आन्दोलन हिंसात्मक हो गया। इसके उपरान्त गाँधी जी के आह्वाहन पर समाप्त किया गया। साइमन कमीशन ने पुलिस बल की प्रशंसा की कहा पुलिस बल में तैनात सिपाही अपने मुल्क तथा धर्म के विरूद्ध जाकर भी आपकी सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से सेवा प्रदान करता है चाहे व मुस्लिम हो या हिन्दू हो। इस प्रकार देश में निरन्तर आन्दोलन होते गये। 1933 ई0 में इण्डियन पुलिस सर्विस का नाम बदलकर "इण्डियन पुलिस" कर दिया गया। 1936 ई0 में लॉर्ड लिनलिथगों वाइसराय गवर्नर जेनरल बनकर भारत आये पुलिस विभाग के नाम सन्देश देकर कहा कि ***"आप जो कार्य कर रहे हैं वह जन कल्याण के लिए अनिवार्य है। आपका कर्तव्य है कि इस भूमि के हर व्यक्ति के वैद्य कार्यों में मित्र तथा सहायक हों। मुझे विश्वास है कि जनता के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी दृढ़ता, सूझ–बूझ तथा निष्पक्षता से निभाएँगे। विश्वास रखिए कि अपने कठोर तथा कठिन कर्तव्य के पालन में, नाजुक तथा खतरे के मौके पर भी आप मेरे दृढ़ समर्थन को प्राप्त करते रहेंगे। मैं सदैव आपके कल्याण के लिए चिन्तित रहूँगा।"*** [19]

Estelar

अब सरकार को पुलिस कल्याण की भी चिन्ता होने लगी इसके बाद केन्द्रिय गुप्तचर दल का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। द्वितीय महायुद्ध के समय इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस को हिदायत दी गयी कि नई भर्ती पर समय लगेगा अतएव पुलिसजन की सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया जाय। इस समय भारतीय राजनीति में हिन्दू तथा मुस्लिम दो धड़ हो गये थे। इस सन्दर्भ में ब्रिटेन के मन्त्री विस्टन चर्चील ने कहा कि ***"हिन्दू–मुसलिम झगड़ा ही भारत में ब्रिटिश राज्य का सबसे बड़ा सहारा है– हिन्दू–मुसलिम एकता को प्रोत्साहन देने की उन्हें कोई चिन्ता नहीं है"***[20]

इस प्रकार 1933 ई0 में सभी प्रान्तों के इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस की बैठक हुई जिसमें यह रखा गया कि खुफिया पुलिस के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें। 1939 ई0 की बैठक में पुलिस विभाग के लिए वैज्ञानिक साज सज्जा ली जाय तथा उसका आधुनिकीकरण किया जाय। धीरे–धीरे भारत स्वराज स्थापना की ओर बढ़ने लगा तथा मुसलिम लीग को लगा कि उसका अस्तित्व कम हो जायेगा तो मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा यदि केन्द्र में कोई ऐसी सरकार बनी जो मुसलिम लीग को स्वीकार न हो तो "मुसलमान अपने खून से उसका विरोध करेंगे" इस उद्दण्डता के पीछे ब्रिटिश अफसर ही थे इस सन्दर्भ में कहा है कि ***"मुस्लिम लीग की उद्दण्डता के पीछे कुछ ब्रिटिश अफसरों की सलाह तथा शह थी, इसे लेखक मिकायेल एडवर्ड्स ने स्पष्ट लिखा है।"***[21]

इस प्रकार भारत का विभाजन होना तय हो गया तथा 1947 ई0 में पाकिस्तान बना तथा लार्ड माउंटवेटन ने नये वाइसराय के रूप में भारत को स्वतन्त्रता दी। 10 फरवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जून 1948 ई0 में भारतीयों को भारत का शासन सौप दिया जायेगा और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हो गया। भारतीय पुलिस में आज भी 1861 एक्ट के आधार पर पुलिस संगठन का रूप स्पष्ट आधार पर दिखायी देता है।

5.3 आधुनिक भारत में पुलिस के कार्यक्षेत्र :–

आधुनिक भारत का इतिहास मराठा साम्राज्य के अभ्युदय से ही प्रारम्भ हो गया लेकिन भारत में आधुनिक काल का अधिकांश समय भारत में ब्रिटिश शासन का राज रहा। 1980 ई0 में शिवाजी की मृत्यु के उपरान्त भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया। इस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। उस समय राज्य में भीषण अकाल के कारण भयंकर भुखमरी, अराजकता, डकैती तथा चोरी का कुशासन था। उसने

Estelar

शान्ति स्थापित करने हेतु जमींदारों से पुलिस का काम लेकर केन्द्रिय शासन में ले लिया। उसने दीवानी व फौजदारी अदालतों को भी पृथक कर दिया। डकैतों के दमन के लिए गोइन्दे भरती कर दिये। पकड़े जाने पर डकैतों को फाँसी की सजा दी गयी इसने हर जिले में अंग्रेज कलेक्टर की नियुक्ति कर दी जिसका कार्य मालगुजारी वसूलने तथा दीवानी तथा फौजदारी अदालतों के कार्य को देखना था।

वारेन हेस्टिंग्स ने हर जिले में कलेक्टर के साथ एक शहर में कोतवाल तथा हर हल्के में एक दरोगा तथा आबादी के आधार पर वरकन्दाज सशस्त्र रूप में नियुक्त किये। इनका कार्य ब्रिटिश शासन प्रणाली का अनुकरण तथा शान्ति व्यवस्था एवम् मालगुजारी की वसूली का कार्य था। इस नयी व्यवस्था से अपराध तो रूके नहीं अपितु जमींदारों की शाख खत्म होने के कारण उन्होंने इसका अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया।

इस प्रकार 1827 में कलेक्टर–मजिस्ट्रेट ही पुलिस विभाग का प्रधान बना। उसके अधीन मामलतार (तहसीलदार) थे तथा कुछ चपरासी नियुक्त कर दिये जो कुछ मालगुजारी वसूलते थे तथा कुछ पुलिस का कार्य देखते थे मामलतार के नीचे पटेल (नायब तहसीलदार) को नियुक्त किया गया था। 1808 ई0 में बंगाल के चार प्रान्तों में सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस नियुक्त किये गये इनका अधिकार क्षेत्र जितना आज के इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस का होता है। इस नयी व्यवस्था ने आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के साथ अपराधों पर भी नियन्त्रण किया। इससे पूर्व वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेज कलेक्टर को न्यायिक मामलों का भी दायित्व दिया ये प्रशासन में भारतीयों को नहीं चाहते थे इस सन्दर्भ में कहा गया था कि ***"कुछ अधिकारी भारतीयों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे किन्तु उन पर अविश्वास एक पूर्वाग्रह से अधिक नहीं था।"***[22]

इस समय सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस कलेक्टर मजिस्ट्रेट के अधिन नहीं था फिर भी कलेक्टर अपने जिले के लिए जिम्मेदार था इस कारण यह एक दोहरा शासन था जिससे दोनों समकक्ष अधिकारियों में टकराव की स्थिति बनती थी। इसी क्रम में 1821 में मण्डलीय कमिश्नर की नियुक्ति की गयी लेकिन पूर्व पद सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस का खर्च कम करने हेतु समाप्त कर दिया। यह काम अब कलेक्टर–मजिस्ट्रेट के पास आ गया जिससे आन्तरिक सुरक्षा समाप्त हो गयी तथा अराजकता पूर्ण रूप से फैल गयी।

ब्रिटिश शासकों द्वारा पुनः समीक्षा की गयी कि प्रत्येक जिले में कलेक्टर तथा सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस के पद पृथक किये जाय तथा उनके नीचे एक डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट

Estelar

पुलिस हो इस व्यवस्था को लागू होने में समय लगा। इसके उपरान्त जिले में दो तरह की पुलिस एक सशस्त्र पुलिस दूसरी वर्कन्दाज जो सशस्त्र पुलिस जैसे हथियारों वाली नहीं थी इसमें भी अनेक खामियाँ थी। इसके उपरान्त देश में 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम हो गया। इसके उपरान्त इस व्यवस्था की पोल खुली तथा 1860 में नयी पुलिस व्यवस्था हेतु कमीशन का गठन किया गया जिसका स्वरूप इस प्रकार रखा गया कि ***"हर प्रान्त में एक इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस नियुक्त होगा, उसके नीचे एक सहायक तथा डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल होगा। हर जिले में एक सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस तथा सहायक सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस होगा जिस पर वास्तविक नियन्त्रण जिला मजिस्ट्रेट का होगा।"***[23]

इसके उपरान्त भी दंगों के समय पुलिस के अधिकार सिमित होते थे जिससे दंगा नियन्त्रण करना कठिन होता था। इसलिए दंगों के नियन्त्रण हेतु दण्डात्मक पुलिस के गठन की आवश्यकता समझते हुए उसका गठन किया गया। इस पूर्व एक्ट में हर थाने में हेड कॉस्टेबुल की नियुक्ति की गयी। इसके उपरान्त समाज में जनजागृति फैल गयी। 1885 में मोपला विद्रोह से यह उभर कर आया कि देश में ठगी, डकैती, हत्या, बैंक डकैती, राहजनी आदि बहुत बढ़ गयी है। इसके लिए अंग्रेज सरकार को दोषी माना गया। इसको कम करने हेतु ए0ओ0ह्यूम ने लार्ड डफरिन के सामने प्रस्ताव रखा कि एक संस्था बना दी जाय जिससे असन्तोष का धुआँ आते रहे परन्तु फूटेगा नहीं इस प्रकार 28 दिसम्बर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हो गयी।

ब्रिटिश शासकों को अधिक अधिकार प्राप्त करने हेतु 2 मार्च 1882 में नयी दण्ड विधान संहिता का निर्माण किया गया। इस समय भी ब्रिटिश सरकार आन्तरिक शान्ति व्यवस्था तथा अपराधों के नियन्त्रण हेतु उदासीन ही दिखायी दे दिया थी। इस सन्दर्भ में लार्ड क्रास ने कहा कि ***"यह कहना कठिन है कि जनता की सहानुभूति पुलिस के प्रति है।"*** [24]

इस प्रकार ब्रिटिश शासकों के माना कि पुलिस का कार्य सन्तोषजनक नहीं है पुलिस पूर्ण रूप से अपराध नियन्त्रण में सक्षम नहीं है जिसके लिए माना गया कि उनको पगार भी उत्तम आधार पर नहीं प्राप्त हो रही है। हम मजदूर के वेतन में पुलिस से आन्तरिक सुरक्षा व नियन्त्रण का कार्य करा रहे हैं जो असम्भव है। इस प्रकार यह माना गया कि पुलिस धन लाभ के कार्यो पर अधिक बल देती है तथा पुलिस का कार्य बदनामी के कगार पर है। जिसमें उत्तम चरित्र व अच्छे गुणों वाले व्यक्ति समावेशित नहीं होते हैं

Estelar

जिसके लिए कहा गया है कि ***"इनकी बुद्धिमानी तथा ईमानदारी का स्तर बहुत नीचा है। पुलिस इतनी बदनाम है कि भला आदमी इसमें भर्ती नहीं होना चाहता।"***[25]

अतः स्पष्ट हो रहा था कि पुलिस अपने कार्यों तथा व्यवहार से समाज में अपने प्रति जनआक्रोश को भर रही थी। पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार सभी में जग जाहिर हो रहा था। निम्न पदों पर भारतीयों को तथा उच्च पदों पर यूरोपियन अधिकारियों को रखा जाता था। भारत में विभिन्न सिविल सर्विस का आयोजन किया गया लेकिन जिसके द्वारा भी भारतीय को रोकने का प्रयास किया जाता था जिसके लिये कहा गया था कि ***"भारतीयों के लिए उपलब्ध सेवाएँ अधिकतम 300 रूपया मासिक वेतन वाली ही होती थी। 500 रूपये से अधिक वेतन वाली सेवाओं में भारतीयों के लिए 16 प्रतिशत से अधिक स्थान नही हो।"***[26]

सम्पूर्ण देश में जन जागृति आयी विभिन्न संस्थाओं का गठन हुआ विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा कार्य किया गया इस समय देश में रौलेट एक्ट लागू किया तथा उसी के विरोध में एक महासभा जलियाँवाला बाग में हुई जो जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के रूप में हुई जिसने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को और अधिक लहर प्रदान कर दी इस समय अंग्रेजों ने भारतीय पुलिस की व्यवस्था व संगठनात्मक स्वरूप में बहुत अन्तर नहीं किया लेकिन दण्ड संहिता में फेरबदल कर भारतीय का दमनात्मक आधार पर शोषण किया गया तथा उन पर नियन्त्रण बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार निरन्तर आन्दोलनों का दौर शुरू हो गया। इस समय ब्रिटिश सरकार को 1914 ई0 तथा 1939 ई0 के विश्व युद्धों का भी सामना करना पड़ा जिसमें देश में शान्ति व्यवस्था की स्थापना करना भी कठिन सा हो गया। इस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा केन्द्रिय स्तर पर खुफिया पुलिस का गठन किया जो गुप्त आधार पर सभी कार्यों का विवरण तथा प्रशासन की स्थिति की जानकारी केन्द्रिय व्यवस्था को देता था। इस समय 'इण्डियन पुलिस सर्विस' को नाम परिवर्तित करके 'इण्डियन पुलिस' कर दिया गया जो स्वतन्त्रता के बाद पुनः आई0पी0एस0 हो गया।

केन्द्रिय गुप्तचर विभाग ने प्रान्तों में अपनी शाखाएँ खोल रखी थी जो प्रान्तीय शासन व्यवस्था से अधिक प्रान्तीय सरकारों की गतिविधि की जानकारी केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराती थी तथा इस समय (1939) पुलिस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि पुलिस को वैज्ञानिक उपकरण के साथ नयी साज–सज्जा के साथ उसका आधुनिकीकरण किया जाय। इस समय देश में 20 सीनियर सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस (उच्च श्रेणी) 1274 सीनियर सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस 293 सहायक सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस 634 उच्च अधिकारी पुलिस

Estelar

में थे। इस प्रकार यह कहा गया कि पुलिस अधिकारियों का औसत 50:30 यूरोपियनःभारतीय का होना चाहिए। 1942 में सरकार (ब्रिटिश) द्वारा स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स आर्डिनेंस पास किया जिसे कठोर बनाकर लागू किया गया लेकिन विरोध के उपरान्त इसे समाप्त भी किया गया। देश में सत्याग्रह आन्दोलनों को रोकने के लिए 50 पलटनें लगायी गयी। आन्दोलन रोकना चाहिए विरोध करने वाली की जबरदस्ती पर उन्हें गोली मारने का आदेश था।

इस प्रकार आन्दोलनों की बयार बहती रही देश की राजनैतिक स्थिति बदलने लगी तथा ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में शासन करना कठिन होने लगा फिर भी अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कर दिया तथा 1947 ई0 में भारत को एक आजाद गणराज्य की मान्यता दे दी।

5.4 आधुनिक भारत में पुलिस की आवश्यकता :–

मराठा साम्राज्य के पतन उपरान्त तथा बंगाल में भीषण अकाल के कारण अंग्रेजी शासकों को देश में फैली भुखमरी, अराजकता, डकैती तथा कुशासन से निपटना पड़ा। उस समय वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन की व्यवस्था जमीदारों से लेकर सीधे केन्द्रिय शासन को सौंप दी। जिन्होंने खुफिया या गुप्त आधार पर डकैतों का पता लगाकर कुशासन से व्यवस्थित करने का कार्य किया। उस समय भारत में पुलिस की आवश्यकता प्रशासन व्यवस्था को सुधारने के लिए अत्यधिक महसूस हुई। भारत में प्रारम्भ से ब्रिटिश शासन मूल रूप से तीन खम्भों पर टिका हुआ था जो नागरिक सेवा, सेना तथा पुलिस थे। ब्रिटिश शासकों को पुलिस की आवश्यकता कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी तथा इससे वह ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाना चाहते थे। डयूक ऑफ बेलिंग्टन ने इस सन्दर्भ में लिखा था कि ***"भारत में सरकार की व्यवस्था, सत्ता की नींव और उसे सँभाले रखने तथा सरकार के कार्यकलापों को चलाने के तौर–तरीके समान उद्देश्य के लिए यूरोप में अपनाए गये और तौर–तरीकों से बिल्कुल भिन्न हैं वहाँ सम्पूर्ण सत्ता की नींव और उपकरण तलवार हैं।"***[27]

पुलिस ब्रिटिश शासन का अत्यधिक आवश्यक स्तम्भ थी। उसका मुख्य सृजनकर्ता कार्ववालिस था। वारेन हेस्टिंग्स ने स्थायी पुलिस व्यवस्था को आवश्यक समझते हुए उसकी स्थापना की थी। पुलिस दल लगातार आन्तरिक अव्यवस्था के कारण आवश्यक हो गया इसलिए पुलिस व्यवस्था के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे हो गया। कार्नवालिस ने थानों

Estelar

की व्यवस्था को आवश्यक समझा हर थाने में प्रधान दरोगा की नियुक्ति की गयी। दरोगा उस समय भारतीय था। इसके कुछ समय उपरान्त जिले स्तर पर सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस की नियुक्ति हुई है। यह जिले स्तर पर पुलिस का प्रधान अधिकारी या ग्राम स्तर पर चौकीदार ही प्रमुख पुलिस का कार्य करता था जिसके वेतन का प्रबन्ध ग्राम सभा ही करती थी इसकी आवश्यकता उस समय चोरी व डकैती रोकने हेतु थी जिसमें ब्रिटिश सरकार सफल हो गई। 1813 ई0 की समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ***"पुलिस ने शान्तिप्रिय निवासियों को उसी प्रकार लूटा मारा जैसे डकैत करते थे, जबकि डकैतों को दबाने के लिए उसका गठन किया गया था।"***[28]

पुलिस ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध बड़े पैमाने पर षडयन्त्रों पर भी नियन्त्रण लगाया और राष्ट्रीय आन्दोलनों के उदय हुआ तब भी पुलिस की आवश्यकता थी। भारतीय जनता से पुलिस का व्यवहार असहानुभूति पूर्ण तथा अमानवीय था। इस समय पुलिस जनता की रक्षक से कई दूर थी इस प्रकार उस समय पुलिस जनता के लिए कार्य नहीं अपितु ब्रिटिश सरकार के लिए कई स्तरों तक उत्तम थी। कुछ समय के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो अपना दृष्टिकोण उदारवादी दिखाया था उसे भी बन्द कर दिया। 1861 में भारतीय काउंसिल बिल पेश करते समय भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा कि ***सारे अनुभव हमें यही बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है।***[29]

उन्नीसवीं शताब्दी में जहाँ ब्रिटिश शासन का स्वरूप निरंकुशवादी हो गया था वहीं राष्ट्रीय आन्दोलनों तथा विचारधाराओं ने शासक वर्ग के लिए एक कठोर चुनौती खड़ी कर रखी थी। सभी भारतीय वर्गों ने समझ लिया था की ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हितों के लिए कदापि कार्य नहीं करेगी वह तो केवल अपना हित साधने में लगी है। इससे धीरे–धीरे सम्पूर्ण राष्ट्र में आन्दोलनों का दौर प्रारम्भ हो गया था। इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन निरन्तर इस सरकार के प्रति भारतीयों के मन में विरोध के भावों को दृढ़ करने लगे तथा 1857 ई0 के स्वतन्त्रता संग्राम ने ब्रिटिश सरकार की चूलें हिला दी। इस आन्दोलन में बागी सिपाहियों, सामान्य जनता, किसान, दस्तकार, दुकानदार, दहाडी मजदूर तथा जमींदार आदि सभी ने भाग लिया इस समय पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी सम्पूर्ण प्रशासन की व्यवस्था चरमरा गयी थी। 1859 ई0 से ब्रिटिश सरकार ने इस आन्दोलन को रोक लिया।

Estelar

1870–71 में नियमित पुलिस बल में कटौती की गयी परन्तु शासन में उपलब्ध पुलिस बल को कारगर हथियार, शस्त्रों से सुसज्जित करने का कार्य किया गया तथा इनको व्यापक प्रशिक्षण भी दिया गया। सुसज्जित अस्त्रों से लैंस सिपाहियों की संख्या 1891 तक 34 से 41 प्रतिशत हो गयी। ब्रिटिश सरकार के दिशा निर्देशक वर्ग ने कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले हर विकल्प पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी ग्रामीण पुलिस को ग्राम–ग्राम तक ब्रिटिश सरकार का शिकंजा कसने में व्यस्त कर दिया, इस सन्दर्भ में आकलैन्ड काल्विन ने कहा कि ***"चूंकि पूरे प्रान्त में फैले अपराधी एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं जबकि विभिन्न प्रान्तों की पुलिस सीधे सम्पर्क में नहीं रहती है। इसलिए देशभर की पुलिस की कार्य प्रणाली को प्रकाश में लाने के लिए एक केन्द्रिय ब्यूरो की स्थापना होनी चाहिए और वह कार्य ढगी और डकैती के कार्यालय के माध्यम से सम्पन्न हो सकता है।"*** [30]

यह सब इस समय राष्ट्रीय आन्दोलनों को दबाने के लिए कहा गया तथा एक गुप्तचर ऐजन्सी के गठन पर भी इस समय बल दिया गया। इस समय शासन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आन्दोलन के लिए थी यह कहा गया कि रेलवे तथा टेलीग्राफ में वृद्धि से अपराधी वर्ग में भारी तालमेल बैठा है तथा इससे उनकी क्रियाएँ तथा प्रतिक्रियाएँ भी और अधिक तीव्र हो गयी है। इस समय शासन द्वारा ब्रिटिश सरकार के निष्ठावान पुलिस सिपाहियों को प्रोत्साहन देने पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा जासूसी का कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों को इनाम देने की आवश्यकता भी समझ में आने लगी। इस आवश्यकता की पूर्ति से भारतीय पुलिस उनके प्रति अपने समर्पण बनाये रखेगी।

उस समय राज्य पुलिस तन्त्र को उभारना भी आवश्यक था जिससे साम्राज्य वादी प्रशासन को मजबूती प्राप्त हो सके। इस कारण सरकार पुलिस की अक्षमता को लेकर गम्भीर बनी हुई थी इस समय पुलिस बल पर दोहरी अवरोध के प्रवृति विकसित हो रही थी एक तो राष्ट्रवादी आन्दोलनों का प्रहार तथा द्वितीय ब्रिटिश अधिकारियों का सन्देहपूर्ण व्यवहार इस कारण पुलिस को अपने चरित्र को भी उजागर करने की आवश्यकता हो रही थी इस सन्दर्भ लखनऊ के कमिश्नर ने लिखा है कि ***"पुलिस कुख्यात संगठन है, ये इस तथ्य को जानते हैं, इसलिए जब वे खुले तौर पर निष्पक्षता से कार्य करते है तो उन पर अविश्वास किया जाता है।"*** [31]

Estelar

इस प्रकार उस समय पुलिस पर अपराध को बढ़ावा तथा भ्रष्टाचार बढ़ाने के लगातार आरोप लगे लेकिन फिर भी उसकी आन्तरिक प्रशासन में निरन्तर आवश्यकता महसूस होती रही। इस सन्दर्भ में ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों ने भी पुलिस संगठन में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता को महसूस किया उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसके संगठन के लिए नवीन स्तर की व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए तथा संगठनात्मक स्वरूप को सुधारने के लिए उस विभाग पर धन भी खर्च किया जाना आवश्यकीय है। उस समय कई स्थानों पर पुलिस का स्वरूप इतना बिगड गया था कि अपराधियों के अपराध धन बल के कारण दर्ज ही नहीं हो रहे थे जिससे वास्तविक अपराध में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही थी। इस प्रकार ब्रिटिश प्रशासकों को समझ में आने लगा था कि आगामी कुछ वर्ष उनके लिए कठिन होंगे क्योंकि उनकी ताकत उनका मजबूत प्रशासन जिसका एक मुख्य आयाम पुलिस है जो इस समय दयनीय दशा में है जिसके प्रारम्भिक स्तर पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है इसके लिये कहा गया कि ***"पुलिस की दशा निःसन्देह रूप से भयंकर दोषपूर्ण है। पुलिस को अल्प वेतन दिया जाता है और इनकी ईमानदारी तथा बुद्धि का स्तर भी निम्न है। पुलिस में नौकरी करना सम्मानजनक नहीं माना जाता है और इसमें कठिन परिश्रम लेकिन फल कम है।"***[31]

इसके उपरान्त केन्द्रिय कमेटी ने पुलिस बल में राजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों तथा उपनिरीक्षकों, सिपाहियों, प्रधान सिपाहियों की भर्ती में उनकी योग्यता को गम्भीरतम् आधार पर मूल्याँकित करने का विचार दिया। यह भी कहा कि पुलिस बल हर हाल में बिना बुद्धि व विवेक का प्रयोग किये हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वासपात्र बने रहे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक यह देखें कि ऐसे लोगों के चयन पर वरियता दी जाय जो पुलिस परिवार में पले व बड़े हुए हैं। जिनका पारिवारिक इतिहास पुलिस के प्रति विश्वास पात्र हो तथा उभरते आन्दोलनों की छींट पुलिस की वर्दी पर कभी नहीं गिरने पाये। कीये का यह भी मानना था कि शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट लोगों को अधिक पुलिस में अवसर दिया जाय कहा गया कि ***"राजपूतों, जाटों, अहिरों, सिक्खों, गोरखाओं अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों–ब्राह्मणों, सिखों, सैयदों, पठानों, पंजाबी मुस्लिमों और अफगान जातियों को नियुक्ति में वरीयता दी जाय।"***[33]

इस प्रकार ब्रिटिश शासकों द्वारा पुलिस संगठन को सुधारने के सभी प्रयासों को किया गया लेकिन इस समय भी ब्रिटिश सरकार हर ओर से अपना फायदा चाहती थी

Estelar

लेकिन फिर भी किये गये सुधारों से संगठन के स्वरूप में अन्तर तो आया। 1940 में एक रिपोर्ट आयी जिसमें यह माना गया कि ***"1939 में जो सामान्य अनुशासन काफी गिर गया था वह धीरे–धीरे सामान्य स्थिति में पहुँच जाने के कारण पुलिस का उत्साह भी सुधर रहा था।"***[34]

इस समय भारतीयों का ब्रिटिश शासन पर विश्वास पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था लोग बैकों व डाकघरों से अपना रूपया निकालने लगे अपनी बचत से जेवरातों में बदलने लगे उधर विश्व युद्ध में भारतीय संयोग के लिए भेजे किप्स मिशन भी विफल हो गया था। ब्रिटिश सरकार भारत को वास्तविक सत्ता देना नहीं चाहती थी ब्रिटिश शासक पूर्ण सत्ता के स्थान पर डोमिनियल राज्य चाहते थे। इस पर गाँधी द्वारा 1942 ई0 में करो या मरो नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो का जन आन्दोलन छेड दिया गया इससे पुलिस तन्त्र के लिये गम्भीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी थी। देश भर में आन्दोलनों की आग लग गयी थी। 1946 ई0 के राजनीतिक माहौल में कांग्रेस के नेता इस बात से अवगत थे कि भारत की जनता आजादी हासिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, वे यह महसूस कर रहे थे कि ***"ब्रिटेन दो से पॉच वर्षों में भारत छोड़ देगा (नेहरू)"***[35]

स्वाधीनता आन्दोलन के अन्तर्गत पुलिस का स्वरूप समय–समय पर अंग्रेजी शासकों ने अपने आधार पर अपने हितों को ध्यान में रखकर सुदृढ़ किया परन्तु इस समय ब्रिटिश सरकार को स्वयं भी विश्व युद्ध की मार झेलकर भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाये रखना कठिन हो रहा था एक ओर विश्व युद्ध दूसरे ओर भारत की आन्तरिक कलह जो उसे लगातार समस्या में डाल रही थी इसलिए ब्रिटिश शासकों ने भारत को छोड़ना ही बेहतर और भारत का विभाजन कूटनीति के आधार पर धार्मिक उनमाद फैलाकर किया तथा भारत को स्वतन्त्र करने का निर्णय ले लिया।

5.5 आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड का स्वरूप उसमें पुलिस की भूमिका :–

आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तराखण्ड के भूभाग पर गोरखा सेना ने अपना आधिपत्य कर लिया। 1790 ई0 में कुमाऊँ तथा 1804 ई0 में गढ़वाल राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। उत्तराखण्ड में गोरखा शासन लगभग 1815 तक रहा। गोरखाओं ने उत्तराखण्ड में नयी शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इस समय सम्पूर्ण भारत में छोटे–छोटे सामन्तवादी राज्यों में बँटा हुआ था।

Estelar

गोरखा वंश के पतन के उपरान्त कुमाऊँ में भी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना अधिपत्य जमा लिया इसके उपरान्त गढ़वाल में भी ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गयी यह व्यवस्था स्वतन्त्रता प्राप्ति तक चलती रही।

5.5.1 आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति :–

आधुनिक काल के प्रारम्भ में उत्तराखण्ड में गोरखाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था उनका साम्राज्य कुमाऊँ में 1790 ई0 से 1815 ई0 तक तथा गढ़वाल 1804 ई0 से 1815 ई0 तक रहा। उन्होंने उत्तराखण्ड में नवीन शासन व्यवस्था को लागू किया। यह शासन व्यवस्था उत्तराखण्ड के कुमाऊँ गढ़वाल राज्यों तथा नेपाल की मिश्रित शासन व्यवस्था के रूप में थी।

गोरखाओं ने उत्तराखण्ड में अपने राज्य की स्थापना अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर की थी। नेपाली राजा अपनी सेना के विजित प्रदेशों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता था जिनको सुब्बा, नायब सुब्बा तथा सेनापति कहते थे। सुब्बा या सुबेदार गवर्नर के समान का होता था उसकी सहायता के लिए नायब सुब्बा तथा सेनापति होता था। राज्याधिकारी प्रतिवर्ष स्थानान्तरित किये जाते थे। इन राज्याधिकारियों को राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक तथा न्यायायिक अधिकार प्राप्त थे। वे राज्याधिकारी स्वेच्छाचारी होते थे।

गोरखाओं द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारियों तथा पगननों में विभक्त था जहाँ सैन्याधिकारी नियुक्त किये गये थे ये सैन्याधिकारी अधिकांशतहः युद्धों में व्यस्त रहते थे। उनके स्थान पर उनके नायब प्रशासन का काम देखते थे। गोरखाओं के शासन काल सैनिक शासन पर आधारित था। सभी उच्चाधिकारी सैनिक होते थे। गोरखा सेना एक शक्तिशाली सेना थी। इस सेना का संगठन यूरोपीय तर्ज पर था। इसमें प्रतिदिन परेड तथा प्रशिक्षण का कार्य होता था। इसमें यूरोपीय अधिकारी प्रशिक्षण देते थे। इसमें अंग्रेजी सेना के भगोडे सिपाही भी प्रशिक्षण देते थे। गोरखा सेना स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की होती थी। ये सैनिक राजभक्त, स्वामीभक्त तथा कष्टसहिष्णु थे। स्थायी सेना को राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किया जाता था इस सेना में जागरिया और ढाकरिया दो प्रकार के सैनिक होते थे।

गोरखा लोगों की न्याय व्यवस्था सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित थी। विवादों की सुनवायी के लिए विचारी होता था। विचारी की सहायता के लिए सेना होती थी। विचारी से निष्पक्ष न्याय की आशा रखी जाती थी। परन्तु निष्पक्ष न्याय कम प्राप्त होता था। विचारी

Estelar

स्वेच्छाकारी होते थे। इन पर राजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे वादी, प्रतिवादी, साक्षियों से मौखिक पूछा जाता था तथा कारणों का पता लगाया जाता था। साक्षियों से हरीवंश की पोथियों की कसम खिलायी जाती थी। न्याय सरल, अविलम्बी या न्याय की दिव्य प्रणाली प्रचलित थी। न्याय के लिए गोला, तराजु, कढ़ाई, जल, जहर, मंदिर दिप का प्रयोग किया जाता था। दण्डों में शारीरिक, आर्थिक तथा विशेष परिस्थिति में मृत्यु दण्ड देने की प्रथा थी, इनकी न्याय व्यवस्था उत्तम नहीं थी इस सन्दर्भ में पं0 हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने कहा है कि– ***"संसार में कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों न हो पर जब वह न्याय और नियम से खाली है और अत्याचार की बुनियाद पर खड़ी है वह कदापि अधिक काल तक स्थिर नहीं रह सकती।"***[36]

गोरखा राज के उपरान्त उत्तराखण्ड ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ ई0 गार्डनर को कुमाऊँ प्रथम शासक नियुक्त किया। 1856 ई0 में कप्तान रामजे को कुमाऊँ का शासक बनाया वे कुमाऊँ में राजस्व पुलिस के पक्षधर थे इस सन्दर्भ में लिखा था कि – ***"मैं समझता हूँ कि हमारा गाँव सम्बन्धी पुलिस का तरीका भारत में सबसे अच्छा है, इसमें फेरबदल करना बुद्धिमानी नहीं होगी। यह ग्राम पुलिस सस्ती है इसमें सरकार का कुछ भी खर्च नहीं होता।"***[37]

उत्तराखण्ड आधुनिक पुलिस की व्यवस्था जिसका अनुमोदन 1815 ई0 में किया गया। अपराध नहीं होने के कारण थाने बन्द करने के बाद में पुलिस अधिकार तहसीलदारों को दे दिये। ट्रेल ने इस पुलिस को उत्तराखण्ड के लिए अनावश्यक बताया। ब्रिटिश सरकार ने ग्राम में पटवारी, कानूनगो (पेशकार) थोकदार तथा प्रधान की ऐसी व्यवस्था की जिससे उनका राज मजबूत हो गया। स्वतन्त्रता आन्दोलन में पधान तथा थोकदार ब्रिटिश राज की रीढ़ की हड्डी बने उन्होंने पटवारियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभायी।

पटवारियों को भूराजस्व देयकों की वसूली, पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्य, भूमि अभिलेखों का रखरखाव तथा वनों की देखरेख का जिम्मा दिया गया तथा पटवारियों के कुली बेगार की व्यवस्था भी की जाती थी जिस प्रथा का बड़ा विरोध हुआ। इस प्रथा के विरोध मे पं0 बद्रीदत्त पाण्डे ने कहा कि ***"यदि आप साथ देते हैं तो मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, मेरी लाश हटेगी। अन्यथा में जाता हूँ।"***[38]

Estelar

1937 ई0 में एक कमेटी ने कहा कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को परिवर्तित किया जाय परन्तु अन्त में राजस्व पुलिस को बनाये रखने पर बल दिया गया। अल्मोड़ा के जिलाधीश ने इस पुलिस को बदलना उत्तम तर्क नहीं माना वरन यह कहा कि इसको सुधारने व प्रभावशाली बनाने के लिए योग्यताओं, प्रशिक्षणों, वेतन तथा नियमावली में सुधार के लिये कार्य किये जाय।

गढ़वाल के जिलाधीश ने कहा कि पटवारी जिसके पास 60 गाँव है उनका कार्य करने में पूरे वर्ष भर कोई गम्भीर अपराध की रिपोर्ट नहीं रहती है इसके स्थान पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति करना बेतुकी बात सी लगती है। नियमित पुलिस की तैनाती न केवल खर्चिली होगी अपितु कार्यकुशलता में कोई बढ़ोत्तरी हो इसका कोई तथ्य स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अतिरिक्त जिलाधीश नैनीताल ने राजस्व पुलिस को ही अनुकरणीय बताया। इस प्रकार समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए नागरिक पुलिस व्यवस्था लागू करने की असहमति व्यक्त कर दी गयी इसके उपरान्त 1930 ई0 में राजस्व पुलिस बिल प्रारूप तैयार किया गया परन्तु लागू वह भी नही हो पाया।

कुमाऊँ लॉ कमेटी का गठन 1937 ई0 में पहली लोकप्रिय कांग्रेस सरकार ने कराया। कमेटी ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों (उत्तराखण्ड) के बारे में अपनी दस सिफारिसें भेजी। इसमें राजस्व पुलिस, कानूनगो और पटवारी की पुरानी प्रणाली के अनुसार नियुक्ति करने की सिफारिश की गयी थी। 1947 ई0 में इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नही की गयी।

अपने मुलुक का भूगोल 1865 ई0 में "भूगोल पर्वाचल" के नाम से पं0 तारादत्त त्रिपाठी डिप्टी इंस्पेक्टर द्वारा तैयार किया गया। 1815 ई0 में श्रीनगर तथा चॉदपुर में तहसील स्थापित की गयी। 1817 ई0 में ढूगाँ तहसील का गठन किया गया। समय–समय पर बन्दोबस्ती, परगनों तथा पट्टियों का निर्माण किया गया। इन पट्टियों का निर्धारण भौगोलिक आधार पर नहीं होने के कारण इस प्रकार की व्यवस्था रही कि एक पट्टी दूसरा गॉव समाहित हो गया।

1821 ई0 में ट्रेल ने परगनों तथा पट्टियों का निर्धारण पुनः किया तथा परगनों की संख्या बढ़ाकर चौदह उन्नीस कर दिया तथा कुल अस्सी पट्टियों का सृजन किया उसने पट्टियों में विसंगति को दूर करने के लिए पट्टियों की सीमाओं का पुनः निर्धारण कर नयी

Estelar

पट्टी का निर्माण या पुरानी पट्टियों में समायोजन किया गया। इस पट्टी निर्धारण में बैठक में पुनः काम किया तथा इनकी संख्या पुनः अस्सी से बढ़ाकर एक सौ उन्नीस तक कर दी। जिससे भू–राजस्व का निर्धारण ठीक प्रकार से हो पाया।

1815 ई0 से पूर्व टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल राज्य का अंग था। जिसमें पंवार वंश के शासकों का राज था। 1815 ई0 में गोरखा शासन के अन्त के बाद इस भू भाग पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अधिकार हो गया। इसे उस समय गढ़वाल के राजा के उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह को सौप दिया सुदर्शनशाह अपने पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर को ही अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। पर इसके लिए अनुमति नहीं मिली ***"अनुमति नहीं दिये जाने के कारण सुदर्शनशाह ने भागीरथी के बांये तट पर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया।"***[39]

टिहरी राज्य की सुव्यवस्था के लिए सुदर्शनशाह ने पूर्व काल से चले आ रहे सयाणों और कमीणों को विभिन्न परगनों से बुलाया उन से नजराना लेकर विभिन्न पदों पर प्रतिष्ठित किया। 1820 ई0 को सुदर्शनशाह को स्थायी सनद प्राप्त हुई। इस सनद में राजा को अलकनन्दा का पूर्वी भाग छोड़कर सारा गढ़वाल प्रान्त हो गया। इससे आगे 1824 ई0 में रबांई परगना भी टिहरी गढ़वाल राज्य में सम्मिलित हो गया 1857 ई0 में सुदर्शनशाह द्वारा अंग्रेजों को सहायता की गयी। 1854 ई0 में उनका देहान्त हो गया इसके उपरान्त उत्तराधिकारी के लिए पुत्रों के मध्य विवाद होना प्रारम्भ हो गया था कि ***"सुदर्शनशाह के पुत्रों में भवानी सिंह सबसे बड़ा तथा शेर सिंह सबसे योग्य था।"***[40]

इस प्रकार शेर सिंह ने राजा की मृत्यु के अपने को राजा घोषित कर दिया। यह भी जनता में प्रसारित कर दिया राजा ने उसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस प्रकार शेरसिंह ने इस सन्दर्भ में गर्वमेन्ट कमिश्नर कुमाऊँ को अनेक माध्यमों से पत्र भी भिजवाये। लेकिन अन्त में भवानी शाह को सनद प्राप्त हुई तथा ***"इस प्रकार के गुटों द्वारा आन्दोलन करना एक सामान्य सी घटना हो गयी थी जिनको राज्य आसानी से दबा देता था विद्रोहियों से भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही न करने के लिए माफी पत्र मांगे जाते थे।"***[41]

इसके उपरान्त टिहरी गढ़वाल में वंशवाद के आधार पर शासन व्यवस्था आगे चली यह शासन भवानी शाह के उपरान्त उसके पुत्र प्रताप शाह फिर प्रताप शाह के पुत्र कीर्तिशाह उसके पश्चात उनके पुत्र नरेन्द्र शाह उसके उपरान्त अपने जीवन काल में ही अपनी स्वेच्छा से राजगद्दी अपने पुत्र मानवेन्द्रशाह को दे दी। महाराजा कीर्तिशाह द्वारा

Estelar

राज्य प्रबन्ध तथा शासन व्यवस्था में सुधार किया गया। इस प्रकार 1949 ई0 में टिहरी राज्य को तत्कालीन राज्य उत्तर प्रदेश में विलीन कर दिया गया।

5.5.2 आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड की राजनीतिक स्थिति तथा पुलिस की भूमिका :–

आधुनिक काल में उत्तराखण्ड की स्थिति अलग प्रकार की थी इस प्रान्त में सर्वप्रथम गोरखा साम्राज्य था उसके उपरान्त कुमाऊँ में ब्रिटिश शासन तथा गढ़वाल में ब्रिटिश राज द्वारा सनद आधारित स्वायत टिहरी गढ़वाल का राज्य था। गोरखा शासकों का अधिपत्य 1790 ई0 में कुमाऊँ तथा 1804 ई0 में गढ़वाल हो गया था जो 1815 ई0 तक गोरखा साम्राज्य चलता रहा। इस समय गोरखाओं ने अपनी कुशल सैनिक नीति से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड तथा असम तक अपने राज्य की स्थापना की। इस समय सैनिक शासन के आधार पर शासन किया गया इस शासन काल में उन्होंने उत्तम सैन्य प्रशासन के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में राज किया। इनके शासन काल में पुलिस व्यवस्था का अधिक उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। गोरखाओं ने पुरानी शासन व्यवस्था के स्थान पर नई शासन व्यवस्था की स्थापना की। यह शासन व्यवस्था कुमाऊँ तथा गढ़वाल में प्रचलित शासन व्यवस्था तथा नेपाली शासन व्यवस्था का गवर्नर के समान होता था जिसकी सहायता हेतु नायब सुब्बा या सुबेदार होता था जिसे न्यायिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा समस्त सैन्य अधिकार प्राप्त थे ***"गोरखाओं द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारियों तथा परगनों में विभक्त था जहाँ सैन्यधिकारी नियुक्त थे। ये सैन्यधिकारी अधिकांशतया युद्धों में व्यस्त रहते थे। उनके स्थान पर उनके नायब प्रशासन देखते थे।"***[42]

गोरखा शासन में सभी उच्चाधिकारी सैनिक होते थे इनकी सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी अपनी सैन्य शक्ति से इनका साम्राज्य उत्तराखण्ड के अतिरिक्त दार्जिलिंग से कांगडा तक का फैला हुआ था गोरखा सेना का संगठन यूरोपीय सेना के तर्ज पर हुआ था इनकी सेना नियमित परेड तथा इनको प्रशिक्षण दिया जाता था। गोरखा सेना स्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार की थी अस्थायी सेना स्थायी सेना की तुलना में दोगुनी होती थी गोरखा सेना खुखरी, तलवार, धनुषबाण, बन्दूक तथा तोपों से युद्ध करती थी।

गोरखा साम्राज्य में विवादों का निपटारा विचारी करता था जो न्याय प्रदान करने के लिए स्वतन्त्र था। गोरखा राज में न्याय व्यवस्था दिव्य माध्यम से किया जाता था। गोरखाकाल में अपराधियों को कठोर दण्ड देने का प्रावधान था। इस काल में शारीरिक,

Estelar

आर्थिक तथा मृत्युदण्ड देने का प्रावधान भी था। व्याभिचार में लिप्त महिला व पुरूष को भी दण्ड दिया जाता था। अपने से उच्च कुल की महिला से व्याभिचार करने पर पुरूष को मृत्युदण्ड तथा महिला की नाक काट दी जाती थी। गोरखा न्याय प्रक्रिया सरल होते हुए भी अन्यायपूर्ण थी, जो पूर्णरूप से न्यायाधीश की इच्छा पर आधारित थी।

गोरखा लोगों के समय राजस्व व्यवस्था को कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। इनके समय में परगने तो नहीं थे सम्भवतहः इस स्तर पर पट्टियाँ तो होती ही थी। ये लोग परगनों के लिए गोरखा, पाल, रौ, पट्टी, कोट और आल आदि शब्दों को काम में लाते थे। इस प्रकार आन्तरिक शासन व्यवस्था के लिए इनके शासन में पुलिस प्रशासन का कोई वर्णन नहीं प्राप्त हुआ है। राजस्व व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होने के कारण राजस्व की वसूली होती थी। इस वसूली में कमीण, सयाणा तथा ग्राम प्रधान का सहयोग लिया जाता था। ***"भू–राजस्व वसूलने वाले अधिकारी पुराने ही रहे ताकि भू–राजस्व वसूलने में सहायता रहे। राजस्व की वसूली में कमीण, सयाण एवम् ग्राम प्रधान का सहयोग मुख्य था।"*** [43]

इस समय राजस्व वसूलते समय सैनिक हितों को अधिक ध्यान में रखा जाता था इस समय प्रान्त में अनेक कर लगाये गये थे तथा दासों को बेचने की परम्परा थी। इस काल में अत्याचारों में भी अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी। गोरखा शासन दोषपूर्ण व अन्यायपूर्ण अधिक था। गढ़वाल के राजा सुदर्शनशाह ने मेजर हेरसी को वचन दिया यदि मेजर साहब गढ़वाल को गोरखों से मुक्त करें तो देहरादून व चंडी परगना अंग्रेजों को दे देंगे। इस सन्दर्भ ने बद्रीदत्त पाण्डे ने कुमाऊँ के इतिहास में लिखा है। कि ***"राजा गढ़वाल की सनद में यह लिखा गया कि वे आवश्यकता होने पर सहायता व सामग्री देने को बाध्य होंगे व अपने व अपने राज्य के बाहर व्यापार करने की सुविधाएँ स्थापित करेंगे। अपने राज्य को बिना अंग्रेजी सरकार के हुक्म के न तो बेच सकेंगे, न रेहन रख सकेंगे।"*** [40]

1815 ई0 में गढ़वाल में गोरखा शासन के अन्त के उपरान्त टिहरी गढ़वाल रियासत सुदर्शन शाह को पुनः सौंप दी गयी जिसमें प्रारम्भ में रबॉई परगना नहीं था। 1824 में वह भी उन्हें प्रदान कर दिया इस प्रकार सुदर्शनशाह ने टिहरी में 1815 से 1859 तक शासन किया उसके उपरान्त प्रथम वंशवाद समस्या के उपरान्त यह शासन वंशवाद पर आधारित होकर आगे चला जिसके सन्दर्भ कहा गया है कि ***"भवानी सिंह व शेर सिंह के मध्य विवाद***

Estelar

चला तथा राज्य के मुख्य पदों पर आसीन लोग दो गुटों में बट गये, क्योंकि सुदर्शनशाह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था।[41]

टिहरी रियासत वंशवाद में आगे बढ़ी अन्त में भवानी सिंह उसके उपरान्त प्रतापशाह, कीर्तिशाह, नरेन्द्रशाह व अन्त में 1949 ई0 तक मानवेन्द्र शाह यहाँ के शासक रहे। टिहरी की राज प्रशासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोच्च था। राजा का सम्पूर्ण अधिपत्य हर वस्तु तथा स्थान पर था। प्रशासन से सम्बन्धित सभी विभागों की अध्यक्षों की सम्मिलित परिषद् कौंसिल कही जाती थी। राजा इस कौंसिल का अध्यक्ष होता था तथा उसके आदेश सर्वोच्च होते थे।*"टिहरी गढ़वाल राज्य में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्याय पालिका तीनों की शक्तियाँ राजा में निहित थी।"* [46]

राजा किसी से प्रसन्न होने पर किसी भी विभाग में पद देता था। उसका स्थानान्तरण किसी भी विभाग में कर देता था। वह किसी को पदच्युत करने के लिए भी पूर्ण स्वतन्त्र था। वह रियासत अनेकों परगनों तथा पट्टियों में विभाजित थी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा या गाँव होता था केन्द्रीय प्रशासन में राजा की सहायता के लिए वजीर, दीवान, वख्सी, लेखकार तथा दफ्तरी आदि पद थे। प्रान्तीय शासन की मुख्य इकाई परगना तथा पट्टी थी। परगने की शासन व्यवस्था चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। जिसमें थानेदार, कानूनगो, पटवारी, तहसीलदार, एस0डी0एम0 आदि प्रमुख थे।*"प्रान्तीय शासन की मुख्य इकाई परगना (पट्टी) थी।"*[47]

प्रान्त के अन्दर ग्रामीण स्तर पर प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये शासकों ने कमीण, सयाण, पधान व पंडा पंचायत तथा देवप्रयाग में दिष्ठा की नियुक्ति कर रखी थी। प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार कर्तव्य, पदनाम, योग्यताएँ आदि भिन्न–भिन्न नरेशों के समय बदलती रही। सुदर्शनशाह के केन्द्रीय शासन में दीवान, लिखबार तथा राजा के अन्य घरेलू नौकर थे। राज्य में दीवान का पद महत्वपूर्ण पद था। इसके समकक्ष ही वजीर का पद था।*"राजा द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक नियमों को राज्य में कार्यान्वित करवाने का अधिकार एवम् उत्तर–दायित्व वजीर का होता था और उसे व्यापक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते थे।"*[48]

टिहरी रियासत में राजा के आदेशों, ताम्रपत्रों, सनदों को लिखाने वाला लेखकार होता था। दफ्तरी भी इस शासन काल का एक महत्वपूर्ण पद था इसका कार्य महत्वपूर्ण आदेशों को अधिकारियों तक पहुँचाना था इस काल में सैन्य व्यवस्था चलाने वाला बख्सी

Estelar

होता था थानों की प्रशासन व्यवस्था थानेदार नामक अधिकारी देखता था थाने के अर्न्तगत पट्टियॉ आती थी। ***"थानों (परगनों) का मुख्य अधिकारी थानेदार होता था।"***[49]

कीर्तिशाह ने सब–डिविजनल अधिकारी की सहायता के लिए तहसीलदारों को नियुक्त किया जिनका कार्य प्रशासन तथा राजस्व सम्बन्धी प्रकरणों को निपटाना था। इसका कार्यालय भूमि बन्दोबस्ती का लेखा जोखा रखना था। इस शासक में परगनों की सुव्यवस्था हेतु सुपरवाइजर नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। इसका काम रियासत या परगनों में आने वाली पट्टियों तथा पाटवारियों के काम को देखना था। पटवारी का कार्य पट्टी में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था इसको पुलिस अधिकारी भी प्राप्त थे। यह अवशेषों की वसूली कर राजकोष में जमा करता था। ***"पटवारी का प्रमुख कार्य पट्टी में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था। इसके अतिरिक्त पटवारी को अपनी पट्टी में पुलिस अधिकार भी प्राप्त होते थे।"***[50]

ग्रामीण अधिकारी कमीण–सयाणे इनका कार्य प्रत्येक गाँव में सुव्यवस्था बनाये रखना था। जो साधारण विवादों को निपटाते थे। इस स्तर पर कामदार यानि खण्ड अधिकारी भी नियुक्त किया गया था इसका पट्टी के छोटे वादों को निपटाने का काम था। पधान भी गाँव का महत्वपूर्ण पद था पधान मालगुजार, घर पधान तथा मुख्तार पधान होता था। टिहरी रियासत के प्रारम्भ में अपराध नगण्य थे। इस कारण पुलिस व्यवस्था की ओर रियासत का ध्यान भी नहीं गया। इस समय ग्राम सयाणे तथा कामदार भी पुलिस अधिकारों का प्रयोग करते थे। पुलिस विभाग का सूत्रपात करते हुए प्रतापशाह के समय पुलिस स्टेशन बना। ***"टिहरी नगर में एक पुलिस स्टेशन बनाया गया।"***[51]

इस पुलिस स्टेशन में कोतवाल नियुक्त किया गया। इसका कार्य उस समय जान माल की सुरक्षा करना था। फिर कुछ समय बाद चार अन्य थाने खाले गये जिसमें थानेदार कुछ पुलिसकर्मी तथा कर्मचारी के साथ थाने में रहता था। फिर पुलिस विभाग को सशक्त बनाने हेतु अन्य स्थानों पर भी थाने खाले गये तथा उसमें योग्य, चुस्त तथा फुर्तिले लोगों को नियुक्त किया गया। ग्रामीण स्तर पर पटवारी ही पुलिस अधिकारों से मुक्त था वह शान्ति व्यवस्था बनाने का कार्य करता था। नरेन्द्र शाह के समय में स्थायी पुलिस की संख्या बढ़ायी गयी। ***"पटवारी को अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त थे। पटवारी का नौकर (चाकर) भी पटवारी के आदेश से किसी व्यक्ति को बन्दी बना सकता था।"***[52]

Estelar

इस समय प्रारम्भ में कोई जेल नहीं थी प्रारम्भ में थानेदार, कामदार, सयाणे कुछ समय तक अपराधियों को बन्दी बनाकर कार्यालय व घरों में रखते थे। बाद में जेलें बनायी गयी तथा जेलों में कठोर दण्ड अपराधियों को रखा जाता था। गोरखा राज के उपरान्त कुमाऊँ में पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रशासन का पूर्ण स्वरूप स्थापित हो गया था। 1815 ई0 में कुमाऊँ में ई0 गार्डनर को प्रथम शासक नियुक्त किया गया छः माह बाद उसके सहायक ट्रेल को कुमाऊँ का कमिश्नर नियुक्त कर दिया। ट्रेल ने स्थायी बंदोबस्ती का निर्धारण कराया। इस समय ब्रिटिश शासकों द्वारा सीमाओं का निर्धारण कराया। 1834 ई0 में लशिंगटन के वैरन (पी0) को कुमाऊँ कमिश्नर बनाया इन्होंने लोगों को चाय की खेती के लिए जमीनें दी। 1855 ई0 में ब्रिटिश काल के समय मालगुजारी के लिए कानून बना। 1856 ई0 में रामजे को कुमाऊँ का शासक बनाया जो बाद में मेजर जेनरल हेनरी रामजे कहलाये जो कुमाऊँ में 44 वर्ष तक विभिन्न पदों पर रहे तथा 28 वर्ष तक कुमाऊँ कमिश्नर रहे थे अच्छे शासक थे यहाँ की स्थानीय भाषा कुमाऊँनी बोलते थे तथा जनता में लोकप्रिय थे। 1884 ई0 में उन्हें जबरन रिटायर कर दिया। 1982 ई0 तक अल्मोड़ा रहे। इस समय 1925 ई0 के गजेटियर के परिशिष्ट में लिखा कि ***"अब रामजे साहब की राय का परिशोधन होना जरूरी है। सन् 1920–22 के असहयोग आन्दोलनों से पटवारी की स्थिति में कुछ अन्तर आ गया है। अब कुमाऊँ के लोग वैसे सीधे–सादे नहीं रहे है और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता के कारण पटवारों को ये दस्तूरियाँ लेने में कठनाई पड़ रही है। कुली, नाली, मकान तथा पुराने हक पटवारी की शक्तियाँ कम हो रही है और उसका पट्टी में दबदबा कम हो गया है यह संभव है कि कहीं–कहीं पुलिस का ढंग बदला जाए।"***[53]

उत्तराखण्ड में आधुनिक पुलिस व्यवस्था प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर ई0 गार्डनर की संस्तुति इस अस्थाई तौर पर शुरू हुई थी। 1821 में कुमाऊँ में थानों का खोलना अनावश्यक बताया। ट्रेल के उत्तराधिकारी गोबन ने भी उत्तराखण्ड में अपराधों का नहीं होना बताया तथा राजस्व पुलिस की प्रशंसा में कहा कि – ***"पटवारी एक साथ पुलिस और राजस्व की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।"***[54]

इस समय 1921 में कुली बेगार आन्दोलन होने के पश्चात भी कुमाऊँ में राजस्व पुलिस को बनाये रखने पर बल दिया। सभी जिलाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में इस व्यवस्था को ठीक माना तथा व्यवस्था में पैनापन लाने की बातें भी कही। इस प्रकार यह

Estelar

व्यवस्था चलते रही। इस समय परगनों को बढ़ाकर 14 से 19 किया गया तथा पट्टियों की संख्या अस्सी से बढ़ाकर एक सौ उन्नीस तक कर दी गयी।

5.5.3 आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड की सामाजिक स्थिति तथा पुलिस का प्रभाव :–

आधुनिक काल के प्रारम्भ में कुमाऊँ या उत्तराखण्ड छोटे–छोटे शासक समुदायों में बटा हुआ था। समाज की स्थिति भी अलग प्रकार की थी इस समय कुमाऊँ में आन्तरिक झगड़े हुए शिव दत्त जोशी तथा हरिदत्त जोशी के मध्य सात बार लडाई लड़ी गयी। जिसमें पॉच युद्ध शिव दत्त जोशी तथा दो युद्ध हरिदत्त जोशी द्वारा जीते गये सभी लड़ाइयों में जान माल का नुकसान भी हुआ। इस समय राजा दीपचन्द्र के जीवन के अन्तिम दिनों में रानी श्रृंगार मंजरी ने अपनी मनमानी चलायी। 1777 ई0 में राजा दीप चन्द्र जो बंदी थे तथा उनके दो पुत्रों को मारा गया। उनका सौतेला भाई मोहन सिंह मोहन चंद के नाम पर कुमाऊँ की गद्दी पर बैठा। इसके उपरान्त गोरखा साम्राज्य के समय भी उत्तराखण्ड का सामाजिक जीवन सामान्य आधार का था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्थापना के उपरान्त 1815 में उत्तराखण्ड में भी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना कब्जा कर लिया। इस समय समाज में अन्ध विश्वास ने अपना स्थान बना लिया। इस समय आम, तुलसी, चमेली तथा शालिग्राम के विवाह, पुच्छलतारे, जादू टोना, सन्तानोपत्ति की इच्छा से समाधियों तथा मकवरों की पूजा, भूत–प्रेतों में आस्था, बरगद–पीपल की पूजा, यूरोपीय सरकार को महादेव का विशाल रूप समझना, फकीरों और दरवेशों पर अंध विश्वास आदि तत्कालीन समाज के संस्कार बन गये थे। इस प्रकार उत्तराँचल की संस्कृति को कभी धर्म, कभी बौद्विकता तथा कभी राजनीति ने प्रभावित किया है। अंग्रेजी शासन के समय भारतीय जनता का शैक्षिक विकास भी उसी प्रकार से किया गया। इस सन्दर्भ में कहा गया कि ***"पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में मध्यम वर्ग के विकास की एक विशेषता यह थी कि यह आर्थिक व औद्योगिक विकास के अभाव में विकसित हुआ था।"***[65]

इस समय आम जनता को अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान दिया जाता था जिससे वह पढ़ कर सरकारी सेवा प्राप्त करता था व गर्व महसूस करता था। इस समय बहुत से समाज सुधारक संस्थाओं का जन्म हुआ तथा समाज में जन क्रान्ति का संचार हुआ। इस समय अंग्रेजी शिक्षा ने भी भारतीयों के मन में एक पश्चात्यकरण का भाव विकसित कर दिया था।

Estelar

धर्म सुधार आन्दोलनों तथा साहित्यों का विकास भी इस काल में हुआ था। ये सब राष्ट्रीय स्तर पर हुए।

इस समय उत्तराखण्ड के गढ़वाल (टिहरी) सामाजिक जीवन जातीय आधार पर संगठित हुआ जो क्षेत्र कृषि प्रधान थे उनमें जातीय संगठन पूरी तरह विद्यमान था इस समय हिन्दू जनता को परम्परागत रीति दो वर्गों में विभक्त था। इसमें समाज में बीठ तथा डोम दो वर्ग थे। बीठ के अर्न्तगत ब्राह्मण तथा राजपूत जातियाँ आती थी उच्च पदों पर बिठ जाति का आनुवांशिक हक था। बीठ में ब्राह्मण तथा राजपूत दो वर्गों में थे। खस जाति के ब्राह्मण व राजपूत कृषि कार्य अधिक करते थे। टिहरी रियासत के समाज में जातीय व वंशानुगत सामन्तवादी तत्वों ने अपनी उपस्थिति के कारण शोषण का विस्तृत ताना–बाना बुन रखा था। पहाड़ी इलाकों में केवल दो ही प्रकार के कार्य थे पशुपालन व खेतीबाड़ी। यहाँ सामन्ती शोषण शारीरिक श्रम पर आधारित था। इसमें समस्त वस्तुओं तथा उत्पादों को उच्च वर्ग को देना पड़ता था ***"कृषि के विभिन्न उत्पाद, वनों के उत्पाद, पालतु पशु और गांवों में बनने वाली विभिन्न घरेलू उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क उच्च वर्ग को प्रदान करनी पड़ती थी।"***[66]

इस समय निःशुल्क वेगार के स्वरूप थे। देनदारी में प्रभु सेवा, उतार, बरा–बेगार, पाला, देण–खेण भेंट आदि थे। सामान्य कृषक व हरिजन समाज कुचला जाता था। इस समय बेगार दो रूप में थे बड़ी बर्दायश तथा छोटी बर्दायश। बड़ी बर्दायश प्रभु सेवा थी जो राजा व राज परिवार के सदस्यों, विशिष्ट अतिथियों तथा अंग्रेज अधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम के समय थी। राज्य के प्रशासनिक कार्यों को चलाने वाले अधिकारियों के लिए व्यवस्था तथा समान ढोना छोटी बर्दायश कहलाती थी। ***"ब्राह्मण, थोकदार, सयाना, पधान आदि बेगार से मुक्त थे।"***[67]

बरा–विसाह कर के रूप में ग्रामिणों को ईधन व लकड़ी देनी पड़ती थी प्रत्येक फसल के उपरान्त अन्न, फल, सब्जी, ककड़ी आदि निःशुल्क देना होता था। सावन में एक लोटा घी, दूध, दही, मठ्ठा आदि देना पड़ता था दुधारू गाय व भैंस देना भी अनिवार्य था। उच्च वर्ग की पुत्रियों की शादी में प्रत्येक को चढ़ावा या टीका देना होता था तथा इसी प्रकार कमीणों को भी दिया जाता था। ***"कमीण और सयाणों को भी पुत्री के विवाह पर पिढाई (टीका) दिया जाता था। कमीण को पनचक्की से पिसाई का कुछ भाग भी मिलता था।"***[68]

Estelar

टिहरी गढ़वाल में निवास करने वाली दूसरी बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति का था इसमें नाई, धोबी, दर्जी, लोहार तथा कुम्हार आते थे। इसमें दो शाखाएँ थी पहली में ओड, कोली, चमार, टमटा, लोहार, औजी, बाजगी आदि तथा दूसरी में बादी, बेडा, हुड्की आदि आते थे। चमार की दो जाति डोम चमार तथा वादी चमार थे।*"प्राचीन काल में इस जाति को डोम, ब्रिटिश शासन काल में शिल्पकार तथा आर्यो के प्रभाव से आर्य, गांधी युग में हरिजन कहा जाता था।"*[69]

इनका कार्य अलग–अलग था। कोली–टोकरी बुनने व लौहार खेती के औजार, औजी– विवाह व मंगल कार्य में गाना, देवी देवताओं को नचाने का काम करते थे इन जातियों की स्त्रियों की दशा भी सोचनीय थी। उच्च वर्गीय पुरूष का स्थान ऊँचा माना जाता था।

मानव के पास जब शक्ति आयी तो उसने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया बेगार प्रथा विश्व के सभी भागों में किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। भारत में यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। गोरखाओं के समय भी इस प्रथा को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त था। 1915 के उपरान्त तो इस प्रथा ने कुमाऊँ में नये आयाम छू दिये। उत्तराखण्ड के कुमाऊँ में यह प्रथा कुली बेगार या कुली उतार के रूप में विख्यात हुई। इस प्रथा के अन्तर्गत अंग्रेजी सरकार के साहबों, पर्यटकों तथा शिकारियों एवम् सैनिकों के समान की ढुलाई तथा उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस कार्य के लिए उन्हें कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों ने इसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया था।

20वीं सदी में इस प्रथा के विरोध में आवाजें उठने लगी दिसम्बर 1920 ई0 में कुमाऊँ परिषद में इसके विरूद्ध काशीपुर प्रस्ताव पास हुआ इसमें चामी शाखा तथा कुमाऊँ परिषद् के नेताओं ने बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में इस कुली बेगार प्रथा का विरोध करने का निर्णय किया। 12 जनवरी 1921 को दो बजे दोपहर बागेश्वर में इसके विरूद्ध जलूस निकालकर कुली बेगार प्रथा बन्द करो के नारे लगे। जलूस सरयू किनारे सभा में बदल गया। 13 जनवरी 1921 में सरयू किनारे आम सभा हुई। सभा को पं0 बद्रीदत्त पाण्डे तथा चिरंजीलाल ने सम्बोधित किया कहा कुमाऊँ में कुली बेगार नहीं देने की शपथ लें। सबने शपथ ली तथा इस घटना का पूरे कुमाऊँ में प्रचार प्रसार हो गया।

Estelar

फरवरी तक आन्दोलन जन–जन तक फैल गया। मार्च 1921 में सरकार ने नेताओं की गरफ्तारी प्रारम्भ कर दी। दिसम्बर 1921 में अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया जिसमें बद्रीदत्त पाण्डे भी सम्मिलित थे। इसके उपरान्त सरकार को भाड़े के कुलियों को रखकर यह काम करना पड़ा इस व्यवस्था का अन्त हो गया। ***"यद्यपि राष्ट्रीय संग्राम के समय ही बेगार आन्दोलन की ऊर्जा और प्रेरणा का उचित संयम और उपयोग नहीं किया जा सका फिर भी अनजाने ही यह सबको प्रेरित करता रहा। इतनी प्रेरणा देने वाली घटनाएँ उत्तराखण्ड के इतिहास में अधिक नहीं है।"***[60]

इस आन्दोलन को प्रारम्भ होने वाले कारणों में से उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव, कुमाऊँ परिषद का कार्य, समाचार पत्र, प्रान्तीय तथा गर्वनर जनरल की काउन्सिल, शिक्षा का प्रभाव, 1904 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, राष्ट्रीय नेताओं का कुमाऊँ में आगमन, कुमाऊँ में होनहार नेतृत्व का होना तथा स्वर्ण जातियों से भी बेगार लेना आदि थे।

इस समय नायक समाज सुधार आन्दोलन चला इसमें नायक जाति में आनुवंशिक रूप वैश्यावृति प्रचलित थी जो उनके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने जैसा हो गया इसका प्रभाव अन्य निम्न वर्गों पर भी पड़ने लगा इसके विरोध में 1928 में प्रान्तीय काउन्सिल ने 18 वर्ष से कम उम्र की कन्या वैश्यावृति कराना निषेध कर दिया गया। 20वीं सदी में सम्पूर्ण भारत में अछूतोद्वार की लहर फैल गयी। अनेक अछूत नेताओं जो अधिकांशतः उच्च हिन्दू जाति से सम्बन्धित थे जिन्होंने भारतीय समाज से इस प्रथा (छुआछूत) को सदा के लिए समाप्त करने की आवाज उठायी। इनमें गाँधी जी प्रमुख थे। धीरे–धीरे इस आन्दोलन से सवर्ण व अछूत जातियों के मध्य की दूरी कम हुई।

इस प्रकार इस काल में जन जागृति भी हुई कई आन्दोलनों द्वारा भारतीयों का शोषण रोका गया। इस समय कुमाऊँ में हुए सामाजिक आन्दोलनों ने कुमाऊँ में अंग्रेज प्रशासकों की नींद उड़ा दी तथा उनको यह सोचने को मजबूर किया की शोषण व दमनात्मक रास्तों को त्यागकर समानता के मार्ग पर चलना होगा अन्यथा कुमाऊँ तथा पूरे देश में असन्तोष की ऐसी लहर दोडेगी की उसको रोकना असम्भव होगा।

1920–21 के कुली बेगार आन्दोलन के पश्चात तथा अन्य आन्दोलनों को देखते हुए ब्रिटिश प्रशासकों ने कुमाऊँ में राजस्व पुलिस के स्थान पर नियमित पुलिस को रखने हेतु अपनी सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी। जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण कालीन थानों को

Estelar

खोलने तथा पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश भेजे गये परन्तु कुछ समय के उपरान्त इनकी आवश्यकता को महसूस नहीं किया गया तथा कुमायूँ में राजस्व पुलिस ही रही।

टिहरी गढ़वाल रियासत में इस काल में पूर्ण कालिक पुलिस का गठन किया गया तथा अनेक स्थानों पर थानों को खोला गया तथा वहाँ पूर्ण कालिक थानेदार की नियुक्ति की गयी तथा उनके साथ थाने में कुछ सिपाही तथा कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गयी। समाज में आयी जनचेतना को अब अंग्रेज शासकों ने भाँप लिया था तथा यह महसूस किया कि अब भारत में बल के प्रयोग कर जनता पर शासन नहीं किया जा सकता है।

5.5.4 आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड की प्रशासनिक स्थिति तथा पुलिस की आवश्यकता :–

आधुनिक भारत के उत्तराखण्ड में गोरखा साम्राज्य का अधिपत्य हुआ। गोरखा साम्राज्य सैन्य शक्ति पर आधारित था। उसकी सेना में सैनिकों को कुशल प्रशिक्षण दिया जाता था तथा गोरखा अपनी सैन्य शक्ति से विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हो पाये थे। इस सन्दर्भ में कहा गया है कि ***"कुमाऊँ में गोरखा शासन अपने उद्धारक लक्षणों से रहित नहीं है। उन्होने दलबन्दी में डूबे राज्य में पुनः शान्ति लौटायी और प्रशासन में सच्ची रूची ली। जोगामल्ल की सूबेदारी में राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में अनेक सुधार हुए तथा नागरिक प्रशासन भी पूरी तरह ठीक किया गया। सूबेदारों का निरन्तर बदलाव होते हुए जिनमें से कुछ नरसिंह जैसे बहुत क्रूर तथा अत्याचारी थे, राज्य समृद्ध होने लगा।"***[61]

गोरखा साम्राज्य का आय का स्रोत भी मुख्य रूप से भू–राजस्व ही था इसलिए इन्होंने भू–राजस्व के लिए पुराने ही अधिकारियों को रखा। राजस्व कमीण, सयाण व पधान द्वारा कराया। भूमि कर भूमि के आधार पर रखा। इसलिए आन्तरिक शान्ति तथा प्रशासन की लघु इकाई ग्राम सभा की सुरक्षा की व्यवस्था भी पुराने आधार पर ही रखी। इनके काल में दास विक्रय व्यवस्था भी रही है। गोरखा शासन में गुणों की अपेक्षा अवगुण अधिक थे।

ब्रिटिश काल में उत्तराखण्ड में टिहरी रियासत में प्रत्यक्ष आधार पर न होकर अप्रत्यक्ष आधार पर अंग्रेजों के शासन के साथ पूरे उत्तराखण्ड में शासन था। 1815 को ब्रिटिश शासक ई0 गार्डनर को उत्तराखण्ड के कुमाऊँ का प्रशासक बनाकर भेजा गया।

Estelar

कुछ समय बाद उनके सहायक ट्रेल को उत्तराखण्ड में कुमाऊँ का कमिश्नर बना दिया गया अंग्रेजी राज की जड़े कुमाऊँ में जमाने में ट्रेल का महत्वपूर्ण योगदान है।

ट्रेल की बन्दोबस्ती योजना 80 साल की बन्दोबस्ती योजना कहा जाता है। आज भी सर्वोत्तम बन्दोबस्ती योजना माना जाता है। इस समय गाँवों की सीमाओं का निर्धारण किया गया तथा उसी के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया। 1834 में लंसिंगटन के बाद पी0 वैरन उत्तराखण्ड के इस भू भाग कुमाऊँ के कमिश्नर बने जिन्होंने यहाँ के किसानों को चाय की खेती के लिए जमीने तथा बागान उपलब्ध कराये।

ब्रिटिश काल में 1855 में सबसे पहले मालगुजारी के लिए कानून का निर्माण किया गया। 1856 में मेजर जेनरल हेनरी रामजे को कुमाऊँ का शासक बनाया जो उत्तम शासक के साथ जनता के प्रिय शासक थे उन्हें रामजी भी कहते थे। रामजे कुमाऊँ में राजस्व पुलिस के सबसे बड़े पक्षधर थे। 1821 ट्रेल ने कमिश्नरों के बोर्ड के सचिव को भेजी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि उत्तराखण्ड में नियमित पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेल के उत्तराधिकारी ने भी (गोवन) अपराधिक गतिविधियों की निम्नता या नगण्यता होने के कारण नियमित पुलिस की आवश्यकता को नकार दिया गोवन ने यहाँ तक कहा कि पटवारी एक साथ पुलिस व राजस्व की जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो सर्वोत्तम है। इस समय पेशकार को ही पुलिस उपाधीक्षक की शक्तियाँ प्रदान कर दी गयी थी। जबकि यहाँ पेशकार के 39 तथा नायब तहसीलदार के 64 पर स्वीकृत हैं।

राजस्व पुलिस व्यवस्था में पटवारी को प्रारम्भ से नियुक्त किया गया था उसकी उस समय संख्या 63 थी। ब्रिटिश शासकों ने पटवारी कानूनगो (पेशकार), थोकदार और पधान के रूप में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण किया जिसने उनके शासन की बुनियाद को और अधिक मजबूत करने का कार्य किया। कुमाऊँ में दीवानी व फौजदारी प्रशासन की दृष्टि से कुमाऊँ रूल्स 1 जनवरी 1922 बनाये गये जिनको 1 अप्रैल 1922 से लागू किया गया। इन प्रावधानों को प्रयोग करने पर बल दिया गया। इस समय राजस्व पुलिस को अध्याय पाँच की धारा 25 से 27 का प्रशिक्षण राजस्व प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिया गया। जिसमें उनके द्वारा किन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारों का प्रयोग करना है बताया गया– ***"अध्याय पाँच की धारा 25 से 27 में राजस्व फौजदारी प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को परिभाषित किया गया जिन्हें पुलिस शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार दिया गया।"***[62]

Estelar

इस प्रधान व थोकदारों को शासन के मुखविरों की तरह प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया। जिनका कार्य मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी द्वारा मागी समस्त सूचनाओं को प्रदान करना था। उनके कर्तव्य व दायित्व निर्धारित थे जिससे सरकार के लिए खतरा साबित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्रशासन को दे दें तथा प्रशासन उनको गिरफ्तार कर सके। थोकदार व प्रधान ब्रिटिश सरकार के विश्वासपात्र कर्मियों में से थे। उन्होंने पटवारी के साथ मिलकर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मोर्चा बन्दी करने का कार्य भी किया इन थोकदारों, प्रधानों व सयाणों को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया।***"1 मई 1919 के शासनादेश के आधार पर पटवारियों को भू राजस्व वसूली, पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्य, भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का रखरखाव, वनों से सम्बन्धित कार्यों और न्यायालय के निर्देशानुसार भूमि से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सौपा गया।"*** [63]

इस समय कुमाऊँ कमिश्नर पी0 बिनदहम ने पटवारियों को यह भी कहा कि कुमाऊँ में जहाँ नियमित पुलिस नहीं है वहाँ पटवारी अपने क्षेत्र में पुलिस का भी सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें। पटवारियों को यह भी दायित्व अनिवार्य रूप से दे दिया गया कि अंग्रेज अधिकारी के भ्रमण के समय वह उनकी कुली बेगार की व्यवस्था भी करे। 1921 में कुली बेगार प्रथा के लिए कमाऊँ के बागेश्वर नामक स्थान पर आन्दोलन हुआ यहाँ मकर संक्रान्ति के दिन हजारों लोगों की भीड़ में कुली बेगार के रजिस्टर मालगुजारों तथा प्रधानों ने सरयू नदी में बहा दिये।***"कुली बेगार प्रथा आन्दोलन एक रक्तहीन क्रान्ति था।"*** [64]

इस आन्दोलन में कुमाऊँ के प्रमुख नेता पं0 हरगोविन्द पन्त, लाला चिरंजीलाल, कूर्मांचल केसरी पं0 बद्रीदत्त पाण्डे आदि शामिल हुए। इन सबको तत्काल प्रभाव से बागेश्वर छोड़ने का नोटिस दे दिया गया। पं0 बद्री दत्त पाण्डे ने अंग्रेजी सरकार खिलाफ आहवान करते हुए कहा कि मैं बागेश्वर सरकार के डर से नहीं छोडूँगा यदि सरकार में हिम्मत है तो वह जो करना चाहे कर सकती है। उन्होंने बागेश्वर की जनता से साथ देने का आह्वान करते हुए कहा कि ***"पवित्र सरयू जल को हाथ में लेकर सामने बागनाथ मंदिर को साक्षी कर प्रतिज्ञा करो, आज से कुली बेगार, कुली उतार, कुली बरदायस नहीं देगे।"*** [65]

पधानों (मालगुजारों) का आन्दोलन में शामिल होने से अंग्रेजी सरकार की नीदें हाराम हो गयी। राजस्व पुलिस व्यवस्था पर उनका विश्वास टूटने लगा। वह ब्रिटिश सरकार के लिए गहरा आघात था। इस आन्दोलन के उपरान्त सरकार ने निःशुल्क कुली

Estelar

बेगार प्रथा को 1921 में समाप्त कर दिया। इसके उपरान्त भी 1937 में अल्मोड़ा के जिलाधिकारी, गढ़वाल के जिलाधिकारी तथा नैनीताल के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस व्यवस्था को बनाये रखने पर बल दिया तथा राजस्व पुलिस को प्रभावी बनाने पर भी बल दिया। इसके उपरान्त 1938 में नया राजस्व पुलिस बिल आया लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। ***"टिहरी गढ़वाल रियासत में सुदर्शनशाह से लेकर मानवेन्द्रशाह (1815 से 1949 तक) के शासन काल तक राज्य के समस्त प्राकृतिक संसाधन (भूमि, जल, वायु, पशु–पक्षी आदि) पर पूर्ण सत्वाधिकार राजा का था। कर्मचारियों को नियुक्ति देने का अधिकार भी राजा में निहित था।"***[66]

टिहरी गढ़वाल रियासत का गठन 1815 ई0 में हुई इसकी नींव सुदर्शनशाह द्वारा रखी गयी। यह सरकार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासकों के दिशा निर्देश तथा प्रसादोपरान्त चलने वाली सरकार थी। इनकी शासन व्यवस्था में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन दोनों का रूप पाया गया केन्द्रीय शासन के अर्न्तगत दीवान, वजीर, राजमहल तथा राजा के सेवा के कर्मचारी आदि ही थे। टिहरी रियासत में राजा के आदेशों, ताम्रपत्रों तथा सनदों को लिखने का कार्य लेखवार करता था। इस समय दफ्तरी भी महत्वपूर्ण पद होता था वह सम्राट के आदेशों को अन्य अधिकारियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करता था। सैन्य व्यवस्था के लिए वख्सी की नियुक्ति की गयी थी। दीवान व वजीर के लिए कहा गया है कि– ***"ये दोनों राजा के प्रशासनिक सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। राज्य की आन्तरिक शान्ति व्यवस्था वजीर व दीवान के निजी व्यवहार के ऊपर निर्भर रहती थी। दीवान का मुख्य कार्य राजा एवम् राज दरवार का लेखा जोखा रखना था।"***[67]

प्रान्तीय शासन के अर्न्तगत रियासत को चार भागों या परगनों में बाँटा गया था जिनको विभिन्न पट्टियों में बाँटा गया था थानों के प्रमुख थानेदार होते थे इनकी नियुक्ति सीधे राजा द्वारा की जाती थी। इसका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था। इसके अलावा यह राजकर्मचारियों के कार्य तथा व्यवहार व गतिविधियों पर नियन्त्रण भी रखता था। इसके मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता के विवादों का निपटारा भी करता था इनको सब डिविजन अधिकारी के नाम से भी जाना जाता था। ***"सब डिविजन अधिकारियों की सहायता के लिए तहसीलदार तथा पटवारी भी नियुक्त किये गये थे।"***[68]

Estelar

इस रियासत में तहसीलदार का पद भी महत्वपूर्ण था। उसको राजस्व सम्बन्धी कार्यों को निपटाने का दायित्व दिया गया था। इसका कार्यालय कानूनगो कार्यालय के रूप में भी जाना जाता था। इनकी सहायता के लिए कानूनगो तथा नायब कानूनगो नियुक्त किये गये थे। कानूनगो का कार्य भूमि से सम्बन्धित पत्रजातों को रखना था यह भूमि सम्बन्धित दायित्वों को निर्वहन करता था इस रियासत में सुपरवाइजर नामक अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। इसका मुख्य कार्य पट्टी के पटवारियों के कार्यों की देखरेख करना था। यह राजा व उच्चाधिकारियों का गुप्तचर भी था ***"परगने में होने वाली गतिविधियों की सूचनाएँ राजा तथा उच्चाधिकारियों को दैनिक रूप से भेजता था।"***[69]

इस रियासत में पट्टी स्तर का प्रमुख अधिकारी पटवारी होता था। जिसकी नियुक्ति राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। इसका मुख्य पट्टी में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखना था। इसके पास पट्टी के पुलिस अधिकार भी प्राप्त थे। यह ग्राम सभा के अवशेषों को वसूल कर राजकोष में जमा कराता था। पटवारी को अपराधों की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही करनी पड़ती थी इसको हत्या, चोरी, आकस्मिक मृत्यु तथा सरकारी सम्पत्ति की हानि पहुँचाने की घटनाओं की जॉच करना तथा अपराधियों को पकड़ कर परगनाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होता था यह पद कई स्थानों पर वंशानुगत रखा गया था। ***"पटवारी का पद वंशानुगत होता था। पटवारी के पुत्र को सामान्यतः पटवारी बनने में वरियता दी जाती थी।"***[68]

इस रियासत में कमीणे व सयाणों की नियुक्ति गाँव की सुव्यवस्था के लिए किया जाता था सयाणे गाँव के सामान्य विवादों का निपटारा करते थे। सयाणे सयाणाचारी दस्तूर, राजकोष में जमा कराने तथा प्रजा को सन्तुष्ट रखने एवम् विसाह, भेंट व बेगार की व्यवस्था भी करते थे। इस रियासत में कामदार की भी नियुक्ति की गयी थी। कामदारों की नियुक्ति कमाणे–सयाणों तथा राजपरिवार के सदस्यों में से ही होती थी। बाद में सयाणा पद हटाकर उसे पधान होता था इस समय पधान का चपरासी पहरी भी नियुक्त किया जाता था।

न्याय व्यवस्था के अर्न्तगत राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था राज्य की कोई निश्चित विधि संहिता नहीं थी इसके शासन काल में गौहत्या, राजद्रोह, जालसाजी तथा व्याभिचार के लिए मृत्यु दण्ड दिया जाता था। परगनों का न्यायिक अधिकारी थानेदार होता था। जिसकी नियुक्ति राजा ही करता था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हल्के विवादों

Estelar

का निपटारा करती थी। ग्राम स्तर पर कभी न्यायिक शक्ति कामदार को भी दी जाती थी। *"पंचायतों द्वारा छोटे–छोटे विवादों का निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जाने लगा।"*[71]

टिहरी रियासत में अपराध प्रारम्भ में नगण्य थे जिस कारण स्थायी पुलिस व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं गया। प्रतापशाह के शासन काल में चार थानों को स्थापित किया गया। पुलिस विभाग का मुख्य कार्य जनता की जानमाल की रक्षा करना था। इस विभाग को सशक्त बनाने के लिए बाद में उनकी योग्यता, आयु तथा वेतन इत्यादि में भी प्रभावशाली परिवर्तन किये गये। कुछ समय उपरान्त बाहरी तत्वों के आने पर अपराध बढ़ने लगे तब पुलिस को सशस्त्र पुलिस तथा सिविल पुलिस के रूप में दो भागों में बाँटा गया। सिविल पुलिस का कार्य जनता के जान माल की रक्षा करना तथा सशस्त्र पुलिस का कार्य जेल, कोषागार तथा राजमहल की सुरक्षा करना था। पटवारियों को अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकार पृथक रूप से प्राप्त थे। नरेन्द्रशाह के समय पुलिस की आवश्यकता को देखकर हेड कॉस्टेबल तथा कॉस्टेबल की नियुक्ति की गयी थी इस समय पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकार सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस होता था। ***"राज्य में एक इंन्सपेक्टर, एक सब इंन्सपेक्टर सहित सात हेडकांस्टेबल तथा 29 कांस्टेबलों के पद सृजित कर दिये गये।"***[72]

इस रियासत में प्रारम्भ में कोई जेल नहीं थी। प्रतापशाह के समय जेल व्यवस्था का संचालन भी होता रहा। जेल कोतवाल ही जेल व्यवस्था का संचालन करता था। जेल में कैदियों से काम लिया जाता था जेल में कैदियों के स्वास्थ्य की जाँच भी की जाती थी। उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू थे वही कानून इस रियासत में भी लागू थे। इस राज्य की प्रमुख जेल टिहरी शहर में थी अन्य जेलों की स्थिति ठीक नहीं थी। ***"जेल में कैदियों को लम्बे समय तक रखा जाता था। जेल की स्थिति बहुत खराब थी। कैदियों को बिना धूप, हवा, रोशनी के रहना पड़ता था। ओढ़ने व बिछाने के कपड़े भी नहीं दिये जाते थे।"***[73]

इस समय जेलों में जेल अधिकारियों द्वारा अत्यन्त कठोरता निर्दयता पूर्ण व्यवहार किया जाता था। जेल से कैदियों के भाग जाने पर जमानती की जमानत की राशि वसूली जाती थी नहीं देने पर उसकी जायजाद से जमानती धनराशि वसूली जाती थी।

Estelar

सन्दर्भ सूची

1. **वैश नरेन्द्र कुमार** – "इतिहास शिक्षण", संस्करण– 2008, पृष्ठ– 1.3।
2. **रानाडे**– "मिसलेनियस राइटिंग्स", पृष्ठ– 358।
3. **एसपिनाल**– "कार्नवालिस इन बंगाल", पृष्ठ– 44।
4. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ–17।
5. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ–18।
6. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ–21।
7. **एडवर्ड मिचेल** – "ब्रिटिश इण्डिया" (1772–1947),संस्करण– 1967, पृष्ठ–176।
8. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–94।
9. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–120।
10. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–128।
11. **ग्वाले डब्लू0आर0** – "हस्ट्री आफ पुलिस इन बंगाल"
12. **जैन एम0पी0** – "ऑउटलाइन्स ऑफ इन्डियन लिगल हिस्ट्री", संस्करण– 1952 पृष्ठ– 452।
13. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–21।
14. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–21।
15. **एम0 एडवर्ड**– "ब्रिटिश इन्डिया", (1772–1947)।
16. **एल0एस0एस0यू0 माले**– "दी इण्डियन सिविल सर्विस" (1610–1930) लन्दन 1931, पृष्ठ–211।
17. **ग्रिफियस सर पर्सिवल** – "इ गॉर्ड माई पिपुल–दी हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पुलिस" पृष्ठ–120।
18. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–101।
19. **वर्मा परिपूर्णानन्द** – "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–121।

Estelar

20. **वर्मा परिपूर्णानन्द –** "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–123।

21. **एडवर्ड्स मिकायेल –** "दी लास्ट एयर ऑफ ब्रिटिश इण्डिया" संस्करण– 1963, पृष्ठ– 128।

22. **मिल–** "हिस्ट्री", जि0–3 पृष्ठ– 502–503।

23. **वर्मा परिपूर्णानन्द –** "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–22।

24. **वर्मा परिपूर्णानन्द –** "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–40।

25. **वर्मा परिपूर्णानन्द –** "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–40–41।

26. **मिश्रा बी0वी0 –** "वही", (दी हुई तालिकाएँ), पृष्ठ–228–229।

27. **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ–28।

28. **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–28।

29. **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–29।

30. **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–31।

31. **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–33।

32. **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–33।

33. **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–34।

34. **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–125।

Estelar

35. **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000, पृष्ठ–128।

36. **रतूड़ी पं0 हरिकृष्ण –** "गढ़वाल का इतिहास", पृष्ठ– 216।

37. **उपाध्याय देवेन्द्र –** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", संस्करण– 2011, पृष्ठ– 11।

38. **उपाध्याय देवेन्द्र –** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", संस्करण– 2011, पृष्ठ– 12।

39. **रावत अजय सिंह –** "गढ़वाल हिमालय ए हिस्टोरिकल सर्वे", सन्–1983, पृष्ठ– 8।

40. **पं0 रतूड़ी हरिकृष्ण –** "गढ़वाल का इतिहास", पृष्ठ– 230।

41. **सकलानी अतुल –** "दी हिस्ट्री ऑफ हिमालयन प्रिन्सली स्टेट", संस्करण–1987, पृष्ठ–95।

42. **दुम्का चन्द्रशेखर व जोशी घनश्याम –** "उत्तराखण्ड इतिहास व संस्कृति", संस्करण– 2003, पृष्ठ– 92।

43. **दुम्का चन्द्रशेखर व जोशी घनश्याम –** "उत्तराखण्ड इतिहास व संस्कृति", संस्करण– 2003, पृष्ठ– 94।

44. **उपाध्याय देवेन्द्र –** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", संस्करण– 2011, पृष्ठ– 7।

45. **सकलानी अतुल –** "दि हिस्ट्री ऑफ ए हिमालयन प्रिन्सली स्टेट", संस्करण– 1987, पृष्ठ–94।

46. **जौहरी बृजभूषण कुमार –** "अमर शहीद श्री देव सुमन", सन्–1990, पृष्ठ– 12।

47. **टिहरी गढ़वाल स्टेट, प्रेस लिस्ट, राजवंशावली, रजि0–4** पृष्ठ–25–42।

48. **वाल्टन एच0सी0 –** "ब्रिटिश गढ़वाल, ए गजेटियर वाल्यूम 36", सन्–1910, पृष्ठ–212।

49. **डबराल शिव प्रसाद –** "उत्तराखण्ड का इतिहास" भाग–6, सन्–1975, पृष्ठ– 408।

Estelar

50. **टिहरी गढ़वाल राज्य गजट, सन् 1948** पृष्ठ–11।

51. **गढ़वाली– नवम्बर 1913** पृष्ठ– 265।

52. **डबराल शिव प्रसाद –** "उत्तराखण्ड का इतिहास" भाग–6, सन्– 1975, पृष्ठ– 445।

53. **उपाध्याय देवेन्द्र –** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", संस्करण– 2011, पृष्ठ–11।

54. **उपाध्याय देवेन्द्र –** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", संस्करण– 2011, पृष्ठ–11।

55. **मिश्रा वी0पी0 एवं एम0एस0 जैन–** "आधुनिक भारत का इतिहास", संस्करण– 1989, पृष्ठ–305।

56. **सकलानी अतुल –** "द हिस्ट्री ऑफ ए हिमालयन प्रिन्सली स्टेट", सन्– 1987, पृष्ठ–61–63।

57. **स्टोबैल–** "मेनुअल ऑफ लैन्ड, टेन्यारे इन कुमाऊँ", पृष्ठ–66।

58. **चातक गोविन्द –** "गढ़वाली लोकगाथाएँ, पृष्ठ–113।

59. **पाठक शेखर –** "उत्तराखण्ड में कुली बेगार प्रथा", पृष्ठ–90।

60. **पाठक शेखर –** "उत्तराखण्ड में कुली बेगार प्रथा", पृष्ठ–237।

61. **सक्सेना वी0पी0 –** "हिस्टॉरिकल पेपर्सटिलेटिंग टु कुमाऊँ", संस्करण– 1956, पृष्ठ–13।

62. **उपाध्याय देवेन्द्र –** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था" संस्करण– 2011, पृष्ठ–12।

63. **उपाध्याय देवेन्द्र –** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", संस्करण– 2011, पृष्ठ–13।

64. **गांधी महात्मा –** "यंग इण्डिया"

65. **पाण्डे पं0 बद्री दत्त –** "कुमाऊँ का इतिहास"

Estelar

66. **डबराल शिव प्रसाद –** "उत्तराखण्ड का इतिहास" भाग–6, सन्– 1975, पृष्ठ– 403।

67. **नेगी शन्तन सिंह –** "मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास", संस्करण– 1988, पृष्ठ– 282।

68. **शास्त्री हरीदत्त –** "टिहरी गढ़वाल का तीर्थ वर्णन", पृष्ठ–79–80।

69. **गैरोला तारादत्त –** "माल पटवारी ट्रेनिंग, टिहरी गढ़वाल राज्य", पृष्ठ– 69–70।

70. **डबराल शिव प्रसाद –** "उत्तराखण्ड का इतिहास" भाग–6, सन्– 1975, पृष्ठ–407।

71. **डबराल शिव प्रसाद –** "उत्तराखण्ड का इतिहास" भाग–6, सन्–1975, पृष्ठ–284।

72. **ए0ए0रि0टि0ग0 स्टेट, सन् 1928–29** पृष्ठ–6।

73. **उनियाल रामचन्द्र –** "पुकार" पहला भाग, सन् 1946, पृष्ठ–10।

Estelar